गरवी गुजरात

RNI No. GUJHIN/2011/39228

GARVI GUJARAT

गरवी गुजरात

अहमदाबाद से प्रकाशित दैनिक

वर्ष : 15
अंक : 291
दि. 22.02.2026,
रविवार
पाना : 04
किंमत : 00.50 पैसा

टैरिफ की तकरार: डोनाल्ड ट्रंप के नए 10% शुल्क ऐलान से भारत-अमेरिका व्यापार पर घिरा असमंजस, विपक्ष का मोदी सरकार पर हमला

जीएनएस)। अमेरिका की राजनीति और वैश्विक व्यापार व्यवस्था में एक बार फिर बड़ा उलटफेर देखने को मिला है। अमेरिकी सुप्रीम कोर्ट ने राष्ट्रपति डोनाल्ड ट्रंप द्वारा पहले लगाए गए टैरिफ को अवैध करार देते हुए स्पष्ट किया कि अंतरराष्ट्रीय आपातकालीन आर्थिक शक्तियां अधिनियम (IEEPA) के तहत व्यापक टैरिफ लागू करना राष्ट्रपति का एकतरफा अधिकार नहीं है, बल्कि यह संसद के दायरे में आता है। यह फैसला अपने आप में ऐतिहासिक था, क्योंकि इससे कार्यपालिका और विधायिका के अधिकारों की सीमाएं पुनः स्पष्ट हुईं। लेकिन फैसले के तुरंत बाद ट्रंप ने 1974 के ट्रेड एक्ट की धारा 122 का सहारा लेते हुए सभी देशों पर 10 प्रतिशत का नया वैश्विक टैरिफ लागू करने की घोषणा कर दी। इस कदम ने कानूनी, आर्थिक और राजनीतिक स्तर पर एक नई बहस को जन्म दे दिया है, जिसका असर भारत पर भी गहराई से पड़ सकता है। धारा 122 अमेरिकी व्यापार अधिनियम 1974 का हिस्सा है, जो राष्ट्रपति को अचानक बढ़ते व्यापार घाटे या आर्थिक संकट की स्थिति में सीमित अवधि के लिए शुल्क बढ़ाने का अधिकार देती है। इस प्रावधान के तहत अधिकतम 15 प्रतिशत तक का टैरिफ 150 दिनों के लिए लगाया जा सकता है। लेकिन इसे आगे बढ़ाने के लिए अमेरिकी संसद की मंजूरी आवश्यक होती है। उल्लेखनीय है कि इस धारा का पहले कभी प्रयोग नहीं हुआ था, इसलिए इसकी न्यायिक व्याख्या और संवैधानिक सीमाएं भविष्य में फिर से अदालतों में चुनौती का विषय बन सकती हैं।

भारत के लिए स्थिति इसलिए जटिल है क्योंकि पहले अमेरिका ने भारत पर 50 प्रतिशत तक टैरिफ लगाया था। बाद में एक अंतरिम व्यापार समझौते के तहत इसे घटाकर 18 प्रतिशत किया गया। अब सुप्रीम कोर्ट द्वारा पुराने टैरिफ रद्द किए जाने और नए 10 प्रतिशत टैरिफ लागू होने के बाद यह स्पष्ट नहीं है कि भारत पर प्रभावी दर क्या मानी जाएगी। व्हाइट हाउस का कहना है कि जब तक कोई नया वैधानिक प्रावधान नहीं

आता, 10 प्रतिशत टैरिफ लागू रहेगा। वहीं ट्रंप का दावा है कि "भारत टैरिफ का भुगतान करेगा, अमेरिका नहीं।" यह बयान अपने आप में राजनीतिक और आर्थिक संदेश देता है।

भारत सरकार फिलहाल सतर्क रुख अपनाए हुए है। वाणिज्य मंत्रालय ने कहा है कि अमेरिका में हुए ताजा घटनाक्रम और उसके संभावित प्रभावों का अध्ययन किया जा रहा है। सरकार को यह आकलन करना है कि भारतीय निर्यातकों—विशेषकर कृषि, वस्त्र, ऑटो कंपोनेंट्स, फार्मास्यूटिकल्स और लघु उद्योग क्षेत्रों—पर इसका कितना असर पड़ेगा। यदि 10 प्रतिशत टैरिफ सभी देशों पर समान रूप से लागू होता है, तो प्रतिस्पर्धा का संतुलन कुछ हद तक बना रह सकता है। लेकिन यदि भविष्य में अलग-अलग देशों के लिए अलग दरें तय होती हैं, तो भारत को नुकसान हो सकता है।

इस बीच भारत की घरेलू राजनीति में यह मुद्दा तेजी से गरमा गया है। कांग्रेस अध्यक्ष मल्लिकार्जुन खड़गे ने सरकार पर आरोप लगाया है कि उसने अमेरिकी सुप्रीम कोर्ट के फैसले का इंतजार किए बिना जल्दबाजी में एक "ट्रैप डील" में प्रवेश किया, जिससे भारत को भारी रियायतें देनी पड़ीं। उन्होंने सवाल उठाया कि क्या राष्ट्रीय हितों और रणनीतिक स्वायत्तता से समझौता किया गया। कांग्रेस नेता जयराम रमेश ने भी कहा कि यदि सरकार 18 दिन और इंतजार करती, तो भारतीय किसानों और उद्योगों के हितों की बेहतर रक्षा की जा सकती थी। विपक्ष का तर्क है कि यह केवल व्यापार का मामला नहीं, बल्कि आत्मसम्मान और नीति-निर्माण की स्वतंत्रता का प्रश्न है। सरकार समर्थक तर्क देते हैं कि वैश्विक व्यापार वार्ताएं जटिल होती हैं और कभी-कभी तात्कालिक समझौते दीर्घकालिक लाभ का मार्ग प्रशस्त करते हैं। उनका कहना है कि भारत-अमेरिका संबंध केवल टैरिफ तक सीमित नहीं हैं; रक्षा, प्रौद्योगिकी, ऊर्जा, सेमीकंडक्टर और रणनीतिक सहयोग जैसे क्षेत्रों में साझेदारी लगातार मजबूत हुई है। ऐसे में व्यापार विवाद को व्यापक द्विपक्षीय संबंधों के संदर्भ में देखना चाहिए।

आर्थिक दृष्टि से देखें तो 10 प्रतिशत का टैरिफ अमेरिकी आयातकों पर लगाया जाता है, लेकिन उसका वास्तविक बोझ अक्सर निर्यातकों और अंततः उपभोक्ताओं पर पड़ता है। यदि अमेरिकी आयातक भारतीय वस्तुओं पर 10 प्रतिशत अधिक शुल्क चुकाते हैं, तो वे या तो कीमतें बढ़ाएंगे या वैकल्पिक आपूर्तिकर्ता तलाशेंगे। इससे भारतीय निर्यात में गिरावट आ सकती है। दूसरी ओर, यदि सभी देशों पर समान शुल्क है, तो भारत की प्रतिस्पर्धात्मक स्थिति अपेक्षाकृत स्थिर रह सकती है। कानूनी पेच भी कम दिलचस्प नहीं है। सुप्रीम कोर्ट ने IEEPA के तहत लगाए गए टैरिफ को रद्द किया, लेकिन पहले से वसूले गए टैरिफ की वापसी पर कोई स्पष्ट निर्देश नहीं दिया। जानकारों का मानना है कि आयातकों को रिफंड मिल सकता है, जिसकी प्रक्रिया अमेरिकी अंतरराष्ट्रीय व्यापार न्यायालय और सीमा शुल्क एजेंसियों के माध्यम से चलेगी। यह प्रक्रिया लंबी और जटिल हो सकती है, जिससे वैश्विक व्यापार में अनिश्चितता बनी रहेगी।

भारत के लिए यह स्थिति एक रणनीतिक परीक्षा भी है। एक ओर उसे अपने किसानों, मजदूरों और छोटे व्यापारियों के हितों की रक्षा करनी है, दूसरी ओर अमेरिका के साथ दीर्घकालिक रणनीतिक साझेदारी को भी संतुलित रखना है। भारत की "रणनीतिक स्वायत्तता" की अवधारणा इसी संतुलन पर आधारित है—जहां वह किसी भी वैश्विक शक्ति के साथ सहयोग करते हुए भी अपने राष्ट्रीय हितों से समझौता न करे। आगे की राह क्या हो सकती है? पहला विकल्प यह है कि भारत अमेरिका के साथ सक्रिय वार्ता जारी रखे और 150 दिनों की अवधि के भीतर एक स्थायी समझौते की दिशा में प्रयास करे। दूसरा विकल्प यह है कि भारत विश्व व्यापार संगठन (WTO) जैसे बहुपक्षीय मंचों पर अपने हितों की रक्षा करे। तीसरा, भारत अपने निर्यात बाजारों का विविधीकरण तेज करे, ताकि किसी एक देश पर अत्यधिक निर्भरता कम हो।

यह घटनाक्रम हमें याद दिलाता है कि वैश्विक व्यापार केवल आर्थिक गणना का विषय नहीं, बल्कि राजनीतिक इच्छाशक्ति, कानूनी व्याख्या और रणनीतिक सोच का संगम है। ट्रंप का 10 प्रतिशत टैरिफ ऐलान एक तात्कालिक कदम हो सकता है, लेकिन उसका प्रभाव दीर्घकालिक हो सकता है। भारत के लिए यह समय संयम, गहन विश्लेषण और दूरदर्शी नीति-निर्माण का है।

अंततः यह सवाल केवल इतना नहीं है कि 10 प्रतिशत टैरिफ से कितना आर्थिक नुकसान होगा। असली प्रश्न यह है कि भारत इस चुनौती को अवसर में कैसे बदलता है—क्या वह अपने निर्यात ढांचे को अधिक प्रतिस्पर्धी बनाता है, क्या वह घरेलू विनिर्माण को सशक्त करता है, और क्या वह वैश्विक मंच पर अपनी रणनीतिक स्थिति को और मजबूत करता है। आने वाले महीनों में यही तय करेगा कि यह टैरिफ विवाद भारत के लिए संकट साबित होगा या एक नई आर्थिक रणनीति की शुरुआत।

एआई में भारत का वैश्विक नेतृत्व: 'सर्वजन हिताय, सर्वजन सुखाय' के मंत्र के साथ 86 देशों ने अपनाया मानव-केंद्रित तकनीक का मार्ग

जीएनएस)। नई दिल्ली में आयोजित एआई इम्पैक्ट समिट 2026 ने विश्व इतिहास में एक नया अध्याय जोड़ दिया है। यह केवल एक तकनीकी सम्मेलन नहीं था, बल्कि एक ऐसा वैश्विक मंच बनकर उभरा, जहां मानवता के भविष्य, तकनीक की दिशा और समाज के कल्याण को केंद्र में रखकर एक साझा संकल्प लिया गया। भारत द्वारा प्रस्तुत 'सर्वजन हिताय, सर्वजन सुखाय' के प्राचीन सिद्धांत को आधुनिक कृत्रिम बुद्धिमत्ता (AI) के साथ जोड़ते हुए एक नया दृष्टिकोण सामने रखा गया, जिसे दुनिया के 86 देशों और दो प्रमुख अंतरराष्ट्रीय संगठनों ने स्वीकार किया। इस घोषणा पत्र पर हस्ताक्षर करने वाले देशों में अमेरिका, ब्रिटेन, कनाडा, चीन, जर्मनी और डेनमार्क जैसी प्रमुख वैश्विक शक्तियां शामिल हैं, जो इस बात का संकेत है कि भारत अब केवल तकनीक का उपभोक्ता नहीं, बल्कि उसका मार्गदर्शक बनकर उभर रहा है। छह दिनों तक चले इस ऐतिहासिक सम्मेलन में लगभग 120 देशों के प्रतिनिधियों, 20 राष्ट्र प्रमुखों और दुनिया की प्रमुख तकनीकी कंपनियों के शीर्ष अधिकारियों ने भाग लिया। इस समिट में पांच लाख से अधिक प्रतिभागियों ने हिस्सा लेकर इसे दुनिया के सबसे बड़े एआई सम्मेलनों में से एक बना दिया। यह केवल संख्या का रिकॉर्ड नहीं था, बल्कि विचारों, संकल्पों और भविष्य की योजनाओं का भी एक नया विश्व रिकॉर्ड था। सम्मेलन के दौरान एआई जिम्मेदारी अभियान के तहत 24 घंटे में 2.5 लाख से अधिक लोगों ने जिम्मेदार एआई के उपयोग की प्रतिज्ञा ली, जिससे भारत ने एक नया वैश्विक कीर्तिमान स्थापित किया। इस समिट का सबसे महत्वपूर्ण पहलू भारत का मानव-केंद्रित एआई दृष्टिकोण रहा, जिसे केंद्रीय मंत्री अश्विनी वैष्णव ने स्पष्ट रूप से प्रस्तुत किया। उन्होंने कहा कि प्रधानमंत्री का विजन है कि एआई केवल आर्थिक लाभ या तकनीकी प्रगति तक सीमित न रहे, बल्कि इसका उपयोग मानव विकास, पर्यावरण संरक्षण और सामाजिक समानता के लिए किया जाए। इस दृष्टिकोण को तीन मूल स्तंभों—लोग, पृथ्वी और प्रगति—पर आधारित बताया गया। इसका अर्थ यह है कि एआई का विकास केवल मुनाफे के लिए नहीं, बल्कि समाज के हर वर्ग के जीवन को बेहतर बनाने के लिए होना चाहिए।

समिट के दौरान भारत को एआई इंफ्रास्ट्रक्चर के क्षेत्र में लगभग 250 अरब डॉलर के निवेश प्रस्ताव प्राप्त हुए, जो देश के तकनीकी भविष्य के लिए अत्यंत महत्वपूर्ण हैं। यह निवेश डेटा सेंटर, क्लाउड इंफ्रास्ट्रक्चर, एआई अनुसंधान प्रयोगशालाओं, सुपरकंप्यूटिंग और डिजिटल कनेक्टिविटी जैसे क्षेत्रों में किया जाएगा। इससे न केवल भारत की तकनीकी क्षमता मजबूत होगी, बल्कि लाखों नए रोजगार के अवसर भी पैदा होंगे। यह निवेश भारत को एआई के वैश्विक केंद्र के रूप में स्थापित करने की दिशा में एक बड़ा कदम है।

समिट में भारत ने अपने स्वदेशी एआई मॉडल भी प्रस्तुत किए, जिनमें 'सर्वम एआई', 'ज्ञानी एआई' और 'भारत-जेन' जैसे प्लेटफॉर्म शामिल हैं। ये मॉडल विशेष रूप से भारतीय भाषाओं, संस्कृति और स्थानीय आवश्यकताओं को ध्यान में रखकर विकसित किए गए हैं। इनका उद्देश्य यह सुनिश्चित करना है कि एआई केवल अंग्रेजी या विकसित देशों तक सीमित न रहे, बल्कि भारत के गांवों, कस्बों और विविध भाषाई समुदायों तक पहुंचे। यह एआई के लोकतंत्रीकरण की दिशा में एक महत्वपूर्ण पहल है, जिससे तकनीक का लाभ समाज के अंतिम व्यक्ति तक पहुंच सके।

इस सम्मेलन में दुनिया की प्रमुख तकनीकी कंपनियों ने भी भारत में निवेश और सहयोग की घोषणा की। Microsoft, Google, OpenAI, Reliance Jio और Adani Group जैसी कंपनियों ने एआई इंफ्रास्ट्रक्चर, अनुसंधान और नवाचार के क्षेत्र में बड़े निवेश की योजना बनाई है। इन निवेशों से भारत में एआई पारिस्थितिकी तंत्र मजबूत होगा और देश वैश्विक तकनीकी प्रतिस्पर्धा में अग्रणी भूमिका निभा सकेगा।

इस समिट ने भारत को 'ग्लोबल साउथ' की आवाज के रूप में भी स्थापित किया है। विकासशील देशों के लिए एआई केवल तकनीकी प्रगति का साधन नहीं, बल्कि आर्थिक और सामाजिक विकास का माध्यम भी है। भारत ने इस मंच के माध्यम से यह संदेश दिया कि एआई का उपयोग असमानता बढ़ाने के लिए नहीं, बल्कि उसे कम करने के लिए होना चाहिए। यह दृष्टिकोण विकासशील देशों के लिए विशेष रूप से महत्वपूर्ण है, क्योंकि इससे वे तकनीकी रूप से सशक्त होकर वैश्विक अर्थव्यवस्था में अपनी भागीदारी बढ़ा सकते हैं।

गुजरात माध्यमिक एवं उच्चतर माध्यमिक शिक्षा बोर्ड की तैयारियों के बीच वडोदरा के 176 केंद्रों पर 26 फरवरी से शुरू होगा परीक्षा महापर्व

जीएनएस)। गुजरात के शैक्षणिक कैलेंडर में हर वर्ष आयोजित होने वाली कक्षा 10 (SSC) और कक्षा 12 (HSC) की बोर्ड परीक्षाएं विद्यार्थियों के भविष्य की दिशा तय करने में अत्यंत महत्वपूर्ण भूमिका निभाती हैं। वर्ष 2026 की ये बहुप्रतीक्षित परीक्षाएं 26 फरवरी से शुरू होकर 18 मार्च तक आयोजित की जाएंगी, जिनके लिए वडोदरा शहर में कुल 176 परीक्षा केंद्र निर्धारित किए गए हैं। गुजरात माध्यमिक एवं उच्चतर माध्यमिक शिक्षा बोर्ड द्वारा आयोजित इन परीक्षाओं को लेकर प्रशासन और पुलिस विभाग ने व्यापक स्तर पर तैयारियां पूरी कर ली हैं, ताकि परीक्षा प्रक्रिया पूरी तरह निष्पक्ष, शांतिपूर्ण और पारदर्शी तरीके से संपन्न हो सके। इन बोर्ड परीक्षाओं को लेकर वडोदरा शहर में सुरक्षा व्यवस्था को सर्वोच्च प्राथमिकता दी गई है। शहर के पुलिस आयुक्त द्वारा जारी विशेष अधिसूचना के तहत परीक्षा अवधि के दौरान कड़े प्रतिबंध लागू किए गए हैं। इन प्रतिबंधों का मुख्य उद्देश्य परीक्षा में किसी भी प्रकार की नकल, अनुचित साधनों के उपयोग और अव्यवस्था को रोकना है। अधिसूचना के अनुसार, परीक्षा के दिनों में सुबह 8:00 बजे से रात 8:30 बजे तक किसी भी परीक्षा केंद्र के अंदर मोबाइल फोन,

स्मार्टवॉच, ब्लूटूथ डिवाइस, कैमरा, वॉकी-टॉकी या अन्य इलेक्ट्रॉनिक उपकरण ले जाना पूरी तरह प्रतिबंधित रहेगा। यह नियम न केवल विद्यार्थियों पर लागू होगा, बल्कि केंद्र परिसर में प्रवेश करने वाले सभी व्यक्तियों पर समान रूप से लागू किया जाएगा।

परीक्षा केंद्रों के आसपास भी सख्त निगरानी रखने की व्यवस्था की गई है। प्रशासन ने परीक्षा केंद्रों के 100 मीटर के दायरे में चार या अधिक लोगों के एकत्र होने पर प्रतिबंध लगा दिया है। इस कदम का उद्देश्य यह सुनिश्चित करना है कि परीक्षा के दौरान बाहरी हस्तक्षेप या किसी भी प्रकार की अव्यवस्था न हो। इसके अलावा, परीक्षा केंद्रों के आसपास स्थित ज़ेरॉक्स, फोटोकॉपी और प्रिंटिंग की दुकानों को भी अस्थायी रूप से बंद रखने के निर्देश दिए गए हैं। यह निर्णय परीक्षा के दौरान नकल सामग्री की छपाई या वितरण को रोकने के लिए लिया गया है।

विद्यार्थियों को परीक्षा के दौरान शांत और अनुकूल वातावरण प्रदान करने के लिए प्रशासन ने लाउडस्पीकर के उपयोग पर भी पूर्ण प्रतिबंध लगा दिया है। यह सुनिश्चित किया गया है कि परीक्षा केंद्रों के आसपास किसी भी प्रकार का शोर न हो, जिससे विद्यार्थियों का ध्यान भंग न हो। इसके साथ ही, बिजली आपूर्ति को निर्बाध बनाए रखने के लिए परीक्षा अवधि के दौरान खुदाई और निर्माण कार्यों पर भी रोक लगा दी गई है। यह कदम इसलिए महत्वपूर्ण है क्योंकि बिजली आपूर्ति बाधित होने से परीक्षा प्रक्रिया प्रभावित हो सकती है।

परीक्षा केंद्रों में प्रवेश को लेकर भी स्पष्ट दिशा-निर्देश जारी किए गए हैं। बिना अनुमति किसी भी व्यक्ति को परीक्षा केंद्र में प्रवेश करने की अनुमति नहीं दी जाएगी। केवल परीक्षा ड्यूटी में तैनात अधिकारी, कर्मचारी और परीक्षा से संबंधित अधिकृत व्यक्ति ही केंद्र परिसर में प्रवेश कर सकेंगे। हालांकि, परीक्षा ड्यूटी में तैनात अधिकारी और कर्मचारी अपने आधिकारिक कार्य के दौरान आवश्यकतानुसार मोबाइल फोन का उपयोग कर सकेंगे, ताकि परीक्षा संचालन में किसी प्रकार की बाधा न आए।

प्रशासन ने यह भी स्पष्ट किया है कि जारी किए गए आदेशों का उल्लंघन करने वाले व्यक्तियों के खिलाफ सख्त कार्रवाई की जाएगी। भारतीय दंड संहिता 2023 की धारा 223 के तहत ऐसे व्यक्तियों के खिलाफ कानूनी कार्रवाई की जा सकती है। यह चेतावनी यह दर्शाती है कि प्रशासन परीक्षा की निष्पक्षता और सुरक्षा को लेकर किसी भी प्रकार की लापरवाही बर्दाश्त नहीं करेगा।

बोर्ड परीक्षाएं विद्यार्थियों के जीवन का एक महत्वपूर्ण पड़ाव होती हैं। इन परीक्षाओं के परिणाम उनके भविष्य की शिक्षा और करियर की दिशा तय करते हैं। यही कारण है कि प्रशासन इन परीक्षाओं को पूरी गंभीरता और जिम्मेदारी के साथ आयोजित करने के लिए प्रतिबद्ध है। परीक्षा केंद्रों पर पुलिस बल की तैनाती, निगरानी व्यवस्था और अन्य सुरक्षा उपाय यह सुनिश्चित करेंगे कि परीक्षा प्रक्रिया पूरी तरह पारदर्शी और सुरक्षित रहे।

प्रवासी 5.0: बस एंड कार ऑपरेटर्स कॉन्फेडरेशन ऑफ इंडिया की पहल से भारत के यात्री परिवहन में नवाचार, इलेक्ट्रिक मोबिलिटी और एकीकृत भविष्य की ओर ऐतिहासिक कदम

जीएनएस)। भारत आज जिस तेज़ी से विकास की दिशा में आगे बढ़ रहा है, उसमें परिवहन क्षेत्र की भूमिका अत्यंत महत्वपूर्ण हो गई है। यात्री परिवहन न केवल लोगों को एक स्थान से दूसरे स्थान तक पहुंचाने का माध्यम है, बल्कि यह देश की आर्थिक प्रगति, सामाजिक समावेशन और तकनीकी विकास का भी आधार बन चुका है। इसी दृष्टि से बस एंड कार ऑपरेटर्स कॉन्फेडरेशन ऑफ इंडिया द्वारा आयोजित "प्रवासी 5.0" का आयोजन भारत के परिवहन क्षेत्र के लिए एक ऐतिहासिक पहल के रूप में सामने आया है। यह आयोजन 9 से 11 जुलाई 2026 के बीच गांधीनगर स्थित हेलिपैड एग्ज़िबिशन सेंटर में आयोजित किया जाएगा, जो पूरे देश के परिवहन उद्योग के लिए एक निर्णायक मंच साबित होगा। प्रवासी 5.0 केवल एक प्रदर्शनी या सम्मेलन नहीं है, बल्कि यह एक ऐसा व्यापक राष्ट्रीय मंच है, जहां बस और कार ऑपरेटर, वाहन निर्माता, तकनीकी कंपनियां, नीति निर्माता, स्टार्टअप, निवेशक और अन्य संबंधित हितधारक एक साथ आएंगे और भारत के यात्री परिवहन के भविष्य की दिशा तय करेंगे। इस आयोजन की मेज़बानी अखिल गुजरात प्रवासी वाहन संचालक ट्रस्ट द्वारा की जा रही है, जबकि गुजरात टूरिस्ट व्हीकल ऑपरेटर्स एसोसिएशन और गुजरात लग्ज़री कैब ओनर्स एसोसिएशन सह-मेज़बान के रूप में शामिल हैं। यह साझेदारी दर्शाती है कि यह आयोजन न केवल गुजरात बल्कि पूरे देश के परिवहन उद्योग को एक नई दिशा देने वाला है। इस कार्यक्रम की घोषणा के अवसर पर आयोजित कर्टन रेज़र कार्यक्रम में उद्योग जगत के कई प्रमुख नेता और प्रतिनिधि उपस्थित रहे, जिन्होंने इस आयोजन के महत्व

और इसकी संभावनाओं पर अपने विचार साझा किए। इस अवसर पर उद्योग के वरिष्ठ प्रतिनिधियों के साथ-साथ प्रमुख कंपनियों के अधिकारी भी मौजूद थे, जिनमें redBus और टाटा मोटर्स जैसे बड़े नाम शामिल थे। इन कंपनियों की भागीदारी यह दर्शाती है कि प्रवासी 5.0 को उद्योग जगत में व्यापक समर्थन और विश्वास प्राप्त हो रहा है।

प्रवासी 5.0 के अंतर्गत कई महत्वपूर्ण गतिविधियां आयोजित की जाएंगी, जिनमें ग्लोबल एग्ज़िबिशन, भारत प्रवासी अवॉर्ड्स, उच्च स्तरीय कॉन्क्लेव सत्र, तकनीकी कार्यशालाएं, नीति सुधार पर चर्चा, स्टार्टअप पिच कार्यक्रम, B2B पार्टनरिंग मीटिंग्स और नेटवर्किंग कार्यक्रम शामिल हैं। इन सभी गतिविधियों का उद्देश्य उद्योग के विभिन्न पक्षों के बीच सहयोग को बढ़ावा देना और नई तकनीकों तथा समाधानों को सामने लाना है। यह मंच उन नवाचारों को प्रोत्साहित करेगा, जो भारत के परिवहन क्षेत्र को अधिक सुरक्षित, कुशल और पर्यावरण के अनुकूल बना सकते हैं। इस आयोजन को उद्योग जगत से जबरदस्त प्रतिक्रिया मिली है, जिसका प्रमाण यह है कि प्रदर्शनी के लिए उपलब्ध स्थान का लगभग 50 प्रतिशत हिस्सा पहले ही बुक हो चुका है। कई प्रमुख ब्रांडों ने अपनी भागीदारी की पुष्टि कर दी है, जिनमें VinFast, JTAC, Zylog Composites और BITLA Software जैसी कंपनियां शामिल हैं। इन कंपनियों की भागीदारी यह दर्शाती है कि प्रवासी 5.0 केवल भारत तक सीमित नहीं है, बल्कि यह एक अंतरराष्ट्रीय स्तर का मंच बन चुका है, जहां वैश्विक कंपनियां भी अपनी उपस्थिति दर्ज करा रही हैं।

प्रवासी 5.0 का एक प्रमुख उद्देश्य भारत में इलेक्ट्रिक मोबिलिटी और मल्टीमोडल परिवहन को बढ़ावा देना है। आज जब दुनिया पर्यावरण संरक्षण और कार्बन उत्सर्जन को कम करने की दिशा में काम कर रही है, तब भारत भी इस दिशा में तेजी से कदम बढ़ा रहा है। इलेक्ट्रिक बसें, स्मार्ट परिवहन प्रणाली, डिजिटल फ्लीट प्रबंधन और स्वचालित तकनीकें इस परिवर्तन का महत्वपूर्ण हिस्सा हैं। प्रवासी 5.0 इन सभी पहलुओं को एक मंच पर लाकर उनके विकास और कार्यान्वयन को प्रोत्साहित करेगा।

इस आयोजन में स्कूल बस सुरक्षा, पर्यटन परिवहन, मेट्रो कनेक्टिविटी, इलेक्ट्रिक वाहन, स्मार्ट ट्रांसपोर्ट सिस्टम और फ्लीट आधुनिकीकरण जैसे महत्वपूर्ण विषयों पर विशेष ध्यान दिया जाएगा। इन विषयों पर विशेषज्ञों द्वारा विस्तृत चर्चा की जाएगी और उनके समाधान प्रस्तुत किए जाएंगे। इससे परिवहन क्षेत्र में सुरक्षा, दक्षता और स्थिरता को बढ़ावा मिलेगा।

प्रवासी 5.0 में देश के सभी 36 राज्यों और केंद्र शासित प्रदेशों से भागीदारी की अपेक्षा की जा रही है। अनुमान है कि इस आयोजन में 10,000 से अधिक बस और कार ऑपरेटर, 300 से अधिक प्रदर्शक, 1,500 से अधिक उद्योग प्रतिनिधि, 60 से अधिक विशेषज्ञ वक्ता और 15,000 से अधिक व्यावसायिक आगंतुक शामिल होंगे। यह संख्या इस आयोजन के महत्व और इसकी व्यापकता को दर्शाती है।

भारत के परिवहन क्षेत्र में डिजिटल तकनीक का उपयोग तेजी से बढ़ रहा है। आज बस और टैक्सी सेवाओं में ऑनलाइन बुकिंग, GPS ट्रैकिंग, डिजिटल भुगतान और डेटा विश्लेषण जैसी सुविधाएं आम हो गई हैं। ये तकनीकें न केवल यात्रियों के लिए सुविधा बढ़ाती हैं, बल्कि ऑपरेटरों के लिए भी संचालन को अधिक कुशल बनाती हैं। प्रवासी 5.0 इन तकनीकों को और अधिक व्यापक रूप से अपनाने के लिए एक मंच प्रदान करेगा।

यह आयोजन सरकार की "विकसित भारत" की परिकल्पना को साकार करने में भी महत्वपूर्ण भूमिका निभाएगा। एकीकृत परिवहन प्रणाली, जिसमें बस, मेट्रो, टैक्सी और अन्य परिवहन साधनों का समन्वय हो, भविष्य की आवश्यकता है। इससे न केवल यात्रा आसान होगी, बल्कि यातायात जाम, प्रदूषण और ऊर्जा खपत को भी कम किया जा सकेगा।

प्रवासी 5.0 का एक महत्वपूर्ण पहलू यह भी है कि यह स्टार्टअप और नई कंपनियों को अपने नवाचार प्रस्तुत करने का अवसर देगा। इससे युवा उद्यमियों को अपने विचारों को उद्योग के सामने रखने और निवेश प्राप्त करने का मौका मिलेगा। यह भारत के परिवहन क्षेत्र में नवाचार और उद्यमिता को बढ़ावा देगा।

गरवी गुजरात
हिन्दी

JioTV
CHENNAL NO.
2002

Jio Air Fiber
Jio Tv +
Jio Fiber
Daily Hunt
ebaba Tv
Dish Plus
DTH live OTT
Rock TV
Airtel
Amezone Fire
Rocu Tv-US.UK

देश-दुनिया के नवीनतम समाचार
प्राप्त करने के लिए आज ही
गरवी गुजरात हिंदी चेनल देखिये

संपादकीय

प्रपंच से फजीहत

दिल्ली में आयोजित, भारत की महत्वाकांक्षी वैश्विक एआई समिट की शुरुआत में एक प्राइवेट यूनिवर्सिटी द्वारा विदेशी रोबोट को अपनी खोज बताकर किए दावे ने देश को असहज किया। ग्लोबल साउथ के देशों का नेतृत्व कर रहे भारत की तरक्की को लेकर अकसर मीन-मेख निकालने वाले पश्चिमी मीडिया को ग्रेटर नोएडा स्थित गलगोटिया यूनिवर्सिटी के कृत्य ने नुक्ताचीनी का एक और मौका जरूर दे दिया। जिसको लेकर पश्चिमी मीडिया में खासी चर्चा हुई। यहां एक निष्कर्ष यह भी निकला कि तकनीकी शिक्षा में निजी क्षेत्रों को मौका मिलने का किस हद तक दुरुपयोग भी किया जा सकता है। यह भी कि मौलिक गुणवत्ता से समझौता करके हम देश का कैसा भविष्य तैयार कर रहे हैं। यह घटनाक्रम देश में तेजी से बढ़ती उस नकारात्मक प्रवृत्ति का हश्र भी बताता है, जिसमें आनन-फानन में शॉर्टकट से सफलता की तलाश रहती है। विडंबना यह है कि इस घटना ने वैश्विक एआई सम्मेलन के परिप्रेक्ष्य में कई सवाल पैदा किये। सवाल उठाया कि भारत आज व्यवहार में एआई व रोबोटिक्स के अनुसंधान में कहां खड़ा है? आखिर गलगोटिया यूनिवर्सिटी के नीति-नियंताओं ने यह क्यों नहीं सोचा कि चीन निर्मित एक रोबोट को अपनी उपलब्धि बताने से देश की प्रतिष्ठा को आंच आएगी? अब यूनिवर्सिटी की तरफ से सफाई दी जा रही है कि उसने रोबोट के निर्माण का दावा नहीं किया। वहीं दूसरी ओर उन सरकारी अधिकारियों की भी जवाबदेही तय की जानी चाहिए, जिन्होंने बिना जांच-पड़ताल के विश्वविद्यालय को एआई समिट में स्टॉल लगाने की अनुमति दी। निश्चित रूप से भारत ने पिछले कुछ वर्षों में कृत्रिम बुद्धिमत्ता आधारित तकनीक व रोबोटिक उत्पादन के क्षेत्र में ऊंची छलांग लगाई है। युवा शक्ति के देश भारत ने एआई के क्षेत्र में अमेरिका व चीन के बाद अपना तीसरा स्थान बनाया है। जिसकी पुष्टि अंतर्राष्ट्रीय मानक संस्थाओं ने भी की है। लेकिन एक विरोधाभासी हकीकत यह है कि भारत दुनिया का सबसे बड़ी आबादी का देश है, जहां श्रम शक्ति प्रचुर मात्रा में उपलब्ध है।

निस्संदेह, ऐसे वक्त में जब कृषि से लेकर चिकित्सा तक और उत्पादन के क्षेत्र में एआई व रोबोटिक्स की दखल बढ़ रही है, प्रचुर श्रमशक्ति की उपलब्धता के बावजूद भारत को समय के साथ कदमताल करनी होगी। हमें एआई व रोबोटिक्स को अपनाना ही होगा। लेकिन सावधानी के साथ ताकि यह नौकरी खाने वाला बनने के बजाय नौकरी देने वाला बने। इसके साथ ही हमें एआई जगत में अपनी विश्वसनीयता भी कायम करनी होगी। ताकि फिर किसी गलगोटिया यूनिवर्सिटी की खुरापात से देश की फजीहत न हो। बल्कि हमारा शोध व विकास का तंत्र इतना मजबूत हो कि फिर हमारे किसी संस्थान को विदेशी उत्पाद को अपना नवाचारी उत्पाद बताने की जरूरत न पड़े। अन्यथा न केवल एआई समिट बल्कि देश की गरिमा को भी आंच आ सकती है। देश में शोध-अनुसंधान से जुड़े संस्थानों व विश्वविद्यालयों को सोचना होगा कि आज के कृत्रिम मेधा व इंटरनेट के जमाने में किसी खोज के बारे में फर्जी दावा कर पाना संभव नहीं है। बल्कि ऐसे कृत्य से उस संस्थान व देश की प्रतिष्ठा को आंच ही आती है। इसमें दो राय नहीं कि कृत्रिम मेधा आने वाले वर्षों में किसी भी देश की ताकत-संपन्नता का आधार बनेगी। लेकिन इस राह में कामयाबी हासिल करने के लिये देश में शोध-अनुसंधान की बुनियाद मजबूत करने की जरूरत है। अन्यथा देश को छद्म दावों से असहज स्थिति का सामना करना पड़ सकता है। इससे देश की प्रतिष्ठा को आंच भी आ सकती है। निस्संदेह, आज भारत को देश में रोबोटिक्स को लेकर मजबूत इकोसिस्टम तैयार करना होगा। इसके लिये देश के पास तकनीकी क्षमता और प्रतिभा उपलब्ध है, लेकिन जरूरत इंफ्रास्ट्रक्चर से जुड़ी चुनौतियों को दूर करने की है। जिसके लिये सरकारी संबल और इंजीनियरिंग की तमाम शाखाओं में बेहतर तालमेल जरूरी है। निश्चित रूप से साठ के दशक में रोबोटिक्स की शुरुआत करने वाले अमेरिका से मुकाबला करने में हमें कुछ वक्त लगेगा। भले ही भारतीय उद्योग जगत रोबोटिक्स के शुरुआती दौर में हो, लेकिन आज देश के हर आईआईटी संस्थान में रोबोटिक्स लैब हैं। हम अपनी तेज प्रगति पर गर्व कर सकते हैं।

मोदी लूला की दोस्ती ने किया कमाल, क्रिटिकल मिनरल्स पर समझौते ने दुनिया में मचाया धमाल

> हम आपको बता दें कि ब्राजील लौह अयस्क, मैंगनीज, निकल और नियोबियम जैसे खनिजों का विश्व के प्रमुख उत्पादकों में है। भारत की इस्पात उत्पादन क्षमता 218 मिलियन टन तक पहुंच चुकी है और आधारभूत ढांचे के विस्तार के साथ इसकी मांग लगातार बढ़ रही है।

नई दिल्ली के हैदराबाद हाउस में आज वह तस्वीर दिखी जिसने वैश्विक शक्ति संतुलन की दिशा में नया संकेत दे दिया। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी और ब्राजील के राष्ट्रपति लुइज इनासियो लूला दा सिल्वा की मौजूदगी में भारत और ब्राजील ने क्रिटिकल मिनरल्स और रेयर अर्थ पर समझौता ज्ञापन पर हस्ताक्षर किए। साथ ही इस्पात आपूर्ति श्रृंखला को मजबूत करने के लिए भी महत्वपूर्ण समझौता हुआ। यह आपूर्ति श्रृंखला की मजबूती, सामरिक स्वावलंबन और आर्थिक शक्ति के नए युग की घोषणा है।प्रधानमंत्री मोदी ने साफ शब्दों में कहा कि क्रिटिकल मिनरल्स पर हुआ समझौता मजबूत और लचीली आपूर्ति श्रृंखला बनाने की दिशा में बड़ा कदम है। रक्षा क्षेत्र में बढ़ता सहयोग दोनों देशों के बीच भरोसे और रणनीतिक तालमेल का प्रमाण है। उन्होंने अगले दस वर्षों में द्विपक्षीय व्यापार को बीस अरब डॉलर से आगे ले जाने का लक्ष्य दोहराया। ब्राजील पहले ही लैटिन अमेरिका में भारत का सबसे बड़ा व्यापारिक साझेदार है, अब यह संबंध नई ऊंचाई छूने को तैयार है।राष्ट्रपति लूला ने भी भारत की प्रौद्योगिकी क्षमता की खुलकर सराहना की। सूचना प्रौद्योगिकी, कृत्रिम बुद्धिमत्ता, जैव प्रौद्योगिकी और अंतरिक्ष अनुसंधान जैसे क्षेत्रों में भारत की प्रगति को उन्होंने भविष्य की साझेदारी का आधार बताया। उनके साथ आए मंत्रियों और उद्योग जगत के प्रतिनिधियों का बड़ा दल यह संकेत देता है कि यह मित्रता केवल राजनीतिक नहीं,

बल्कि आर्थिक और औद्योगिक धरातल पर भी मजबूत हो रही है। हम आपको बता दें कि ब्राजील लौह अयस्क, मैंगनीज, निकल और नियोबियम जैसे खनिजों का विश्व के प्रमुख उत्पादकों में है। भारत की इस्पात उत्पादन क्षमता 218 मिलियन टन तक पहुंच चुकी है और आधारभूत ढांचे के विस्तार के साथ इसकी मांग लगातार बढ़ रही है। ऐसे समय में ब्राजील के साथ खनन, प्रसंस्करण, पुनर्चक्रण और उन्नत तकनीक पर सहयोग भारत को कच्चे माल की स्थिर आपूर्ति सुनिश्चित करेगा।

वहीं, क्रिटिकल मिनरल्स समझौता केवल उद्योग की जरूरत नहीं, बल्कि सामरिक आवश्यकता है। विश्व में रेयर अर्थ उत्पादन पर चीन का लगभग एकाधिकार रहा है। भारत लंबे समय से निर्भरता कम करने की रणनीति पर काम कर रहा है। ब्राजील के साथ यह साझेदारी उस रणनीति को ठोस आधार देती है। इससे भारत की रक्षा, ऊर्जा, इलेक्ट्रिक वाहनों, अंतरिक्ष और उच्च तकनीक उद्योगों को स्थायी आपूर्ति मिलेगी। देखा जाये तो भारत और ब्राजील की यह साझेदारी केवल द्विपक्षीय नहीं है। यह ग्लोबल साउथ की सामूहिक आवाज को मजबूती देती है। जब दो बड़े लोकतंत्र खनिज, ऊर्जा, कृषि, स्वास्थ्य और तकनीक में हाथ मिलाते हैं तो वैश्विक आपूर्ति शृंखलाओं का समीकरण बदलता है। पश्चिमी शक्तियों और चीन के बीच चल रही प्रतिस्पर्धा के दौर में यह समझौता तीसरे ध्रुव की संभावना को मजबूत करता है।

ऊर्जा क्षेत्र में जैव ईंधन, नवीकरणीय ऊर्जा और सतत उड्डयन ईंधन पर सहयोग हरित भविष्य की दिशा में कदम है। आपदा प्रतिरोधी अवसंरचना और जलवायु अनुकूल कृषि में साझा पहल विकासशील देशों के लिए उदाहरण बन सकती है। स्वास्थ्य और औषधि क्षेत्र में सस्ती और गुणवत्तापूर्ण दवाओं की आपूर्ति ब्राजील के लिए लाभकारी होगी, वहीं भारतीय औषधि उद्योग को विशाल बाजार मिलेगा।

वहीं रक्षा क्षेत्र में बढ़ता तालमेल हिंद महासागर और दक्षिण अटलांटिक क्षेत्र में सामरिक संतुलन को प्रभावित करेगा। समुद्री सुरक्षा, संसाधन संरक्षण और तकनीकी साझेदारी से दोनों देश अपने प्रभाव क्षेत्र का विस्तार कर सकते हैं। देखा जाये तो भारत की विदेश नीति पिछले कुछ वर्षों में आत्मविश्वास और स्पष्टता के साथ आगे बढ़ी है। प्रधानमंत्री मोदी ने यह सिद्ध किया है कि मित्रता केवल औपचारिकता नहीं, बल्कि दीर्घकालिक रणनीतिक निवेश होती है। ब्राजील के साथ बढ़ती निकटता इसी सोच का परिणाम है। मोदी की नीति बहु ध्रुवीय विश्व व्यवस्था में संतुलित और स्वायत्त भूमिका की है। एक ओर पश्चिमी देशों से गहरे संबंध, दूसरी ओर रूस से सामरिक तालमेल और साथ ही वैश्विक दक्षिण के देशों के साथ सघन सहयोग। ब्राजील के साथ क्रिटिकल मिनरल्स और इस्पात समझौता इसी व्यापक दृष्टि का हिस्सा है। यह संदेश स्पष्ट है कि भारत अपने औद्योगिक और सामरिक भविष्य को किसी एक स्रोत पर निर्भर नहीं छोड़ेगा।

इस साझेदारी से भारत को कच्चे माल की सुरक्षा, नई तकनीक, निवेश और बाजार मिलेगा। ब्राजील को भारत की तकनीकी दक्षता, औषधि आपूर्ति, डिजिटल ढांचा और विशाल उपभोक्ता बाजार का लाभ मिलेगा। दोनों देश मिलकर वैश्विक मंचों पर संस्थागत सुधार, आतंकवाद के विरोध और विकासशील देशों की आवाज को मजबूती देंगे।

यह समझौता एक रणनीतिक घोषणा है कि भारत अपने पक्के दोस्तों के साथ कंधे से कंधा मिलाकर खड़ा है। आने वाले वर्षों में यदि यह सहयोग योजनाओं से निकलकर जमीन पर उतरता है तो यह एशिया और लैटिन अमेरिका के बीच नए शक्ति सेतु का निर्माण करेगा। यही वह दिशा है जिसमें भारत आत्मनिर्भर, प्रभावशाली और निर्णायक वैश्विक शक्ति के रूप में उभर सकता है।

प्रेरणा

संवेदनाओं का असली मूल्य: साहिर की दरियादिली की मिसाल

लाहौर की गलियों में सर्दियों की धुंध जब धीरे-धीरे उतरती थी, तब अदब की दुनिया भी अपने रंग में डूबी रहती थी। इन्हीं गलियों में एक नौजवान शायर अपने शब्दों से नई सुबह रच रहा था—वह थे साहिर लुधियानवी। मुंबई की चकाचौंध में हिंदी फिल्मों के अमर गीत लिखने से पहले साहिर लाहौर में रहते थे और वहां से उर्दू की मासिक पत्रिका 'साकी' का प्रकाशन करते थे। सीमित साधनों और आर्थिक तंगी के बावजूद उनका विश्वास था कि रचनाकार की मेहनत का सम्मान होना चाहिए। वे जानते थे कि शब्द केवल भावनाओं का विस्तार नहीं, बल्कि लेखक की जीवन-ऊर्जा होते हैं। इसलिए वे यथासंभव प्रकाशित रचनाओं का मेहनताना देने की कोशिश करते थे।

वह दौर आसान नहीं था। देश विभाजन के पहले और बाद का समय उथल-पुथल से भरा हुआ था। आर्थिक अस्थिरता, सामाजिक तनाव और व्यक्तिगत संघर्ष—इन सबके बीच साहित्यकारों का जीवन और भी कठिन हो जाता था। ऐसे में पत्रिका निकालना अपने आप में साहस का काम था। 'साकी' केवल एक पत्रिका नहीं थी, बल्कि नए लेखकों और शायरों के लिए एक मंच थी, जहां वे अपनी रचनाओं को पहचान दिला सकते थे। साहिर का मानना था कि रचनात्मक श्रम का सम्मान धन से ही नहीं, संवेदना से भी होता है।

एक दिन की घटना इस विश्वास को अमर कर देती है। कड़क सर्दी का मौसम था। ठंडी हवाएं हड्डियों तक को जमा देने वाली थीं। ऐसे में 'शमा' लाहौरी नाम का एक शायर साहिर के घर पहुंचा। उसकी कुछ ग़ज़लें 'साकी' में प्रकाशित हुई थीं और उसे अपने मेहनताने की सख्त जरूरत थी। हालात इतने खराब थे कि वह बिना स्वेटर के, ठंड से कांपता हुआ उनके दरवाजे पर खड़ा था। उसकी आंखों में उम्मीद भी थी और विवशता भी।

साहिर उस समय खुद आर्थिक तंगी से गुजर रहे थे। हाथ इतना तंग था कि वे समय पर मेहनताना नहीं भेज पाए थे। लेकिन जब उन्होंने उस शायर की हालत देखी, तो उनके भीतर का इंसान पहले जागा, संपादक बाद में। उन्होंने उसे भीतर बुलाया, गर्म चाय पिलाई और उसकी हालत को ध्यान से देखा। यह केवल एक लेन-देन का मामला नहीं रह गया था; यह दो संवेदनशील आत्माओं का सामना था, जहां एक को मदद की जरूरत थी और दूसरे के पास देने को धन नहीं, लेकिन दिल था।

कुछ पल सोचने के बाद साहिर उठे और हैंगर पर टंगा अपना नया कोट उतारकर उस शायर को पहनाते हुए मुस्कुरा कर बोले, "आपके मेहनताने का मनीऑर्डर हम इसलिए नहीं भेज पाए क्योंकि इस महीने से हमने शायरों को 'कैश' के बदले 'काइंडनेस' देने का फैसला किया है।" यह वाक्य जितना विनोदी था, उतना ही मार्मिक भी। उसमें आत्मस्वीकृति भी थी और करुणा भी। शायर साहिर का चेहरा देखता रह गया—वह समझ गया कि उसे जो मिला है, वह रुपये से कहीं अधिक मूल्यवान है।

यह घटना केवल उदारता की मिसाल नहीं, बल्कि साहित्यिक संस्कृति का आईना भी है। आज जब रचनात्मक क्षेत्र में प्रतिस्पर्धा और व्यावसायिकता हावी हो चुकी है, तब यह प्रसंग हमें याद दिलाता है कि असली साहित्य संवेदना से जन्म लेता है। साहिर की यही संवेदनशीलता आगे चलकर उनके गीतों में भी झलकती है। जब वे मुंबई पहुंचे और फिल्मों के लिए गीत लिखने लगे, तो उनके शब्दों में आम आदमी का दर्द, समाज की विडंबना और प्रेम की गहराई साफ दिखाई देती है। उनकी रचनाओं में केवल तुकबंदी नहीं, बल्कि जीवन का अनुभव बोलता है।

साहिर ने हमेशा लेखक और गीतकार के अधिकारों की बात की। उन्होंने फिल्म इंडस्ट्री में गीतकारों को रॉयल्टी दिलाने के लिए आवाज उठाई। यह वही व्यक्ति था, जिसने लाहौर में तंगी के दिनों में भी लेखक की मेहनत को सम्मान देने की कोशिश की थी। उनकी दृष्टि में रचनाकार केवल शब्दों का कारीगर नहीं, बल्कि समाज का संवेदनशील प्रहरी होता है।

'शमा' लाहौरी को दिया गया वह कोट केवल ठंड से बचाने का साधन नहीं था; वह एक प्रतीक था—इस बात का कि संवेदना का कोई मौद्रिक मूल्य नहीं होता। जब एक इंसान दूसरे के दुख को समझता है और अपनी सीमाओं के बावजूद मदद करता है, तब वह समाज में विश्वास की लौ जलाता है। साहिर की यह छोटी-सी घटना हमें सिखाती है कि दान केवल धन से नहीं, मन से भी किया जाता है।

आज के समय में जब हम सफलता को केवल आर्थिक पैमाने पर आंकते हैं, तब साहिर की यह दरियादिली हमें ठहरकर सोचने पर मजबूर करती है। क्या सचमुच मेहनताने का अर्थ केवल पैसे से है? या फिर वह सम्मान, सहानुभूति और मानवीय व्यवहार से भी जुड़ा है? साहिर ने जिस सहजता से अपने नए कोट का त्याग किया, वह बताता है कि उनके लिए इंसान की गरिमा अधिक महत्वपूर्ण थी।

यह प्रसंग हमें यह भी सिखाता है कि रचनाकारों के बीच आपसी सहयोग और संवेदना कितनी आवश्यक है। साहित्य की दुनिया प्रतिस्पर्धा से नहीं, सहयोग से समृद्ध होती है। जब एक शायर दूसरे की पीड़ा समझता है, तभी सृजन की असली शक्ति प्रकट होती है। साहिर की यह घटना इसलिए भी महत्वपूर्ण है क्योंकि यह हमें बताती है कि महानता केवल प्रसिद्धि से नहीं, बल्कि छोटे-छोटे मानवीय कार्यों से बनती है।

संवेदना का मेहनताना कभी घटता नहीं, बल्कि समय के साथ और भी मूल्यवान हो जाता है। आज भी जब हम साहिर के गीत सुनते हैं या उनके जीवन के प्रसंग पढ़ते हैं, तो हमें उनके शब्दों के पीछे छिपी वही करुणा दिखाई देती है, जिसने एक ठिठुरते शायर को अपना कोट देकर गर्माहट दी थी। यही वह गर्माहट है, जो साहित्य को जीवित रखती है और इंसानियत को अर्थ देती है।

अंततः, यह कहानी हमें यही संदेश देती है कि जीवन में सबसे बड़ा धन संवेदना है। पैसा कभी-कभी कम पड़ सकता है, लेकिन अगर दिल बड़ा हो तो इंसान हर कमी को पूरा कर सकता है। साहिर लुधियानवी की यह दरियादिली हमें याद दिलाती है कि सच्चा साहित्य वही है, जो मनुष्य को मनुष्य से जोड़ दे। और शायद यही संवेदना का असली मेहनताना है—जो देने वाले को भी समृद्ध करता है और पाने वाले को भी।

चीन को जिसका डर था, अमेरिका ने भारत के साथ वही कर दिया!

दिल्ली में ऐसा फैसला हुआ है, जिसने एशिया ही नहीं बल्कि पूरी दुनिया का ध्यान अपनी ओर खींच लिया है। भारत ने एक बड़े रणनीतिक कदम के तहत अमेरिकी नेतृत्व वाला गठबंधन पैक्स सिलिका में शामिल होने का ऐलान कर दिया है और माना जा रहा है कि इससे बीजिंग की टेंशन बढ़ गई है। दरअसल बता दें कि नई दिल्ली में आयोजित इंडिया एआई इंपैक्ट समिट 2026 के दौरान भारत ने आधिकारिक तौर पर पैक्स सिलिका घोषणापत्र पर हस्ताक्षर कर लिए हैं। इस गठबंधन का मकसद है सेमीकंडक्टर, आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस, क्रिटिकल मिनरल्स और एडवांस टैक्स सप्लाई चेन को सुरक्षित और चीन पर निर्भरता से मुक्त होना। पैक्स सिलिका अमेरिकी सरकार का एक प्रमुख रणनीतिक फ्रेमवर्क है। इसके तहत अमेरिका अपने विश्वसनीय साझेदार देशों के साथ तकनीक और औद्योगिक इकोसिस्टम का साझा नेटवर्क विकसित कर रहा है। इसे वैश्विक मैन्युफैक्चरिंग सप्लाई चेन पर चीन के प्रभुत्व को चुनौती देने की पहल के रूप में देखा जा रहा है। इसका मुख्य उद्देश्य एआई और सेमीकंडक्टर उद्योग के लिए सुरक्षित और भरोसेमंद वैश्विक सप्लाई चेन तैयार करना है। तकनीकी विकास के लिए आवश्यक क्रिटिकल मिनरल्स की निर्बाध आपूर्ति इस रणनीति का अहम हिस्सा है। दिसंबर में बने इस समूह में जापान, सिंगापुर, दक्षिण कोरिया, ऑस्ट्रेलिया और इस्राइल सहित कई देश शामिल है। अब भारत के औपचारिक रूप से जुड़ने के बाद इसकी रणनीतिक अहमियत और बढ़ गई है। भारत ऐसे समय इस पहल में शामिल हुआ है जब हाल के महीनों में भारत-अमेरिका संबंधों में ट्रेड डील और अन्य वैश्विक मुद्दों को लेकर कुछ असहजता देखी गई थी। हालाकि हाल ही में दोनों देशों के बीच एक अतरिम समझौते पर सहमति बनी है। विशेषज्ञों का मानना है कि इस कदम से द्विपक्षीय सहयोग, खासकर इमरजिंग टेक्नोलॉजी और सेमीकंडक्टर क्षेत्र में, और गहरा होगा। चीन के दबदबे को संतुलित करने की रणनीति में भारत की भूमिका मजबूत होगी। यह गठबंधन पूरी चिप निर्माण प्रक्रिया को सुरक्षित करने के लिए बनाया गया है। यानी खदानों से निकलने वाले जरूरी खनिजों से लेकर चिप बनाने वाली फैक्टियों तक और उन डेटा सेंटर्स तक, जहां अडवास AI चलाया जाता है- हर स्तर पर सुरक्षा और भरोसेमंद सप्लाई सुनिश्चित करना इसका उद्देश्य है।

हाई क्वालिटी चिप मैन्युफैक्चरिंग होगी। सप्लाई चेन विविधकरण होगा। टेक्निकल निवेश बढ़ेगा। इसके साथ ही 6G डाटा सेंटर और एडवांस होंगे। मैन्युफैक्चरिंग में संयुक्त प्रोडक्शन बढ़ेगा। भारत में पहले से ही 10 सेमीकंडक्टर संयंत्र स्थापित या प्रक्रिया में है। उम्मीद है कि जल्द भारत का पहला सेमीकंडक्टर प्लांट कमर्शियल प्रोडक्शन जल्दी ही शुरू करेगा। भारत में दो नैनोमीटर चिप डिजाइनिंग पर भी काम हो रहा है जो दुनिया की सबसे एडवांस टेक्नोलॉजी में गिनी जाती है। इंडिया यूएस संबंधों पर भी पैक्स सिलिका का असर पड़ेगा। बता दें कि यह कदम प्रस्तावित इंडिया यूएस ट्रेड डील को अंतिम रूप देने की दिशा में भी अहम माना जा रहा है। अमेरिकी राजदूत सर्जियो गौर ने इसे 21वीं सदी की आर्थिक और तकनीकी व्यवस्था को आकार देने वाला रणनीतिक गठबंधन बताया। उन्होंने कहा कि भारत की इंजीनियरिंग प्रतिभा और अमेरिका की टेक्नोलॉजी क्षमता मिलकर विश्वसनीय एआई इकोसिस्टम तैयार कर सकती है। युवाओं और अर्थव्यवस्था पर भी इसका असर पड़ेगा। स्किल डेवलपमेंट बढ़ेगा। इसके साथ ही टैक सेंटर में नई नौकरियां आएंगी। विदेश निवेश बढ़ेगा। एआई और सेमीकंडक्टर में स्टार्टअप्स शुरू होंगे और इकोसिस्टम इससे मजबूत होगा। 47 तक विकसित भारत के लक्ष्य के लिए यह एक रणनीतिक कदम माना जा रहा है। क्रिटिकल मिनरल्स के खनन से लेकर उन्हें चिप्स में परिवर्तित करने और फिर डेटा सेंटर्स तक पहुंचाने की पूरी प्रक्रिया इसमें शामिल है। भारत के लिए यह गर्व की बात है कि अब हम पैक्स सिलिका का हिस्सा है। इससे हम इस महत्वपूर्ण सप्लाई चेन में एक प्रमुख भूमिका निभाएंगे। यह भारत के टेक्नोलॉजी से जुड़े कार्यक्रममें के लिए भी अत्यंत महत्वपूर्ण साबित होगा।

अभियान

सलकनपुर की दिव्य शक्ति: मां विजयासन का सिद्धपीठ और विजय का वरदान

भारत की सनातन परंपरा में शक्ति उपासना का स्थान अत्यंत ऊँचा है। जब भी नवरात्रि या गुप्त नवरात्रि का पावन पर्व आता है, तो साधना, उपासना और आध्यात्मिक जागरण का वातावरण बन जाता है। ऐसे ही पवित्र अवसरों पर जिन शक्तिपीठों का महत्व विशेष रूप से बढ़ जाता है, उनमें मध्य प्रदेश के सीहोर जिले के सलकनपुर गांव की पहाड़ी पर स्थित विजयासन माता मंदिर का नाम प्रमुखता से लिया जाता है। यह मंदिर केवल एक तीर्थ नहीं, बल्कि आस्था, साहस, सिद्धि और विजय का जीवंत प्रतीक है। यहां दर्शन मात्र से मन में विश्वास जागृत होता है कि हर कठिनाई पर विजय संभव है।

हर वर्ष माघ माह के शुक्ल पक्ष की प्रतिपदा से नवमी तक गुप्त नवरात्रि मनाई जाती है। यह नवरात्रि सामान्य उत्सवों की तरह बाहरी आडंबर से नहीं, बल्कि गहन साधना और तांत्रिक उपासना से जुड़ी होती है। इस अवधि में दस महाविद्याओं की पूजा की जाती है—काली, तारा, षोडशी, भुवनेश्वरी, छिन्नमस्ता, त्रिपुर भैरवी, धूमावती, बगलामुखी, मातंगी और कमला। साधकों का विश्वास है कि गुप्त नवरात्रि के दौरान की गई साधना शीघ्र फलदायी होती है और विशेष सिद्धि प्रदान करती है। मां विजयासन का यह सिद्धपीठ भी इसी ऊर्जा का केंद्र माना जाता है। जो भक्त इस काल में यहां पहुंचकर आराधना करते हैं, वे अपने जीवन की जटिलताओं से मुक्ति और लक्ष्यों में सफलता का आशीर्वाद मांगते हैं। सलकनपुर की पहाड़ी पर स्थित यह मंदिर प्राकृतिक सौंदर्य और आध्यात्मिक ऊर्जा का अद्भुत संगम प्रस्तुत करता है। पहाड़ी की ऊंचाई पर विराजित मां विजयासन का स्वरूप अत्यंत तेजस्वी और दिव्य माना जाता है। 'विजयासन' शब्द का अर्थ ही है—विजय के आसन पर विराजमान देवी। यह नाम अपने आप में संकेत देता है कि मां अपने भक्तों को संघर्षों में जीतने की शक्ति देती हैं। लोक मान्यता है कि जो भी सच्चे मन से यहां आकर प्रार्थना करता है, उसकी मनोकामना पूर्ण होती है और उसे शत्रु भय से मुक्ति मिलती है। मंदिर तक पहुंचने के लिए श्रद्धालुओं को सैकड़ों सीढ़ियां चढ़नी पड़ती हैं। यह चढ़ाई केवल शारीरिक परिश्रम नहीं, बल्कि आस्था की परीक्षा भी मानी जाती है। हर सीढ़ी के साथ भक्त 'जय माता दी' का जयकारा लगाते हुए आगे बढ़ते हैं। ऊपर पहुंचते-पहुंचते मन में एक अलग ही ऊर्जा का संचार होता है। जब भक्त मंदिर के गर्भगृह में प्रवेश कर मां के दर्शन करते हैं, तो उनकी आंखों में श्रद्धा और हृदय में शांति का अनुभव होता है। ऐसा लगता है मानो जीवन की सारी उलझनें मां के चरणों में समर्पित हो गई हों।

नवरात्रि के समय यहां का दृश्य अत्यंत भव्य होता है। चैत्र और शारदीय नवरात्रि के साथ-साथ गुप्त नवरात्रि में भी मंदिर परिसर में विशाल मेले का आयोजन किया जाता है। दूर-दूर से लाखों श्रद्धालु यहां पहुंचते हैं। विशेष पूजन, हवन, दुर्गा सप्तशती पाठ और अन्य धार्मिक अनुष्ठान संपन्न होते हैं। मंदिर परिसर घंटियों की ध्वनि, शंखनाद और मंत्रोच्चार से गूंज उठता है। भक्त माता के दर्शन के लिए लंबी कतारों में खड़े रहते हैं, लेकिन उनके चेहरे पर थकान के बजाय श्रद्धा और उत्साह दिखाई देता है।

मां विजयासन की महिमा से जुड़ी अनेक कथाएं प्रचलित हैं। स्थानीय मान्यता के अनुसार यह स्थान प्राचीन काल से शक्ति साधना का केंद्र रहा है। कहा जाता है कि कई संतों और सिद्ध पुरुषों ने यहां तपस्या की और मां की कृपा प्राप्त की। श्रद्धालुओं का अनुभव है कि यहां की गई प्रार्थना शीघ्र फल देती है। कई लोग अपनी मनोकामना पूर्ण होने के बाद पुनः यहां आकर धन्यवाद अर्पित करते हैं। यह परंपरा वर्षों से चली आ रही है और आज भी उतनी ही प्रबल है।

यह मंदिर न केवल धार्मिक दृष्टि से, बल्कि भौगोलिक दृष्टि से भी आकर्षक है। पहाड़ी की चोटी से चारों ओर का प्राकृतिक दृश्य अत्यंत मनोहारी दिखाई देता है। हरियाली, खुला आकाश और दूर तक फैली धरती का दृश्य मन को शांति देता है। सुबह और शाम के समय यहां का वातावरण विशेष रूप से दिव्य प्रतीत होता है। सूर्योदय की किरणें जब मंदिर के शिखर पर पड़ती हैं, तो दृश्य अत्यंत अलौकिक लगता है।

यात्रा की दृष्टि से भी यह मंदिर सुविधाजनक स्थान पर स्थित है। निकटतम रेलवे स्टेशन सीहोर है, जहां से सड़क मार्ग द्वारा सलकनपुर आसानी से पहुंचा जा सकता है। निकटतम हवाई अड्डा भोपाल में स्थित है, जो प्रमुख शहरों से जुड़ा हुआ है। भोपाल से लगभग 70 किलोमीटर की दूरी तय कर सड़क मार्ग से मंदिर पहुंचा जा सकता है। इंदौर से भी बस या निजी वाहन द्वारा यहां आना संभव है। इस प्रकार देश के विभिन्न भागों से श्रद्धालु यहां सरलता से पहुंच सकते हैं।

मां विजयासन के दर्शन का आध्यात्मिक महत्व भी गहरा है। शक्ति उपासना का मूल उद्देश्य केवल बाहरी विजय नहीं, बल्कि आंतरिक विजय भी है। जब भक्त मां के सामने अपने भय, क्रोध, लोभ और अहंकार को समर्पित करता है, तब उसे आत्मबल की प्राप्ति होती है। यही आत्मबल जीवन के हर क्षेत्र में सफलता का आधार बनता है। इसलिए कहा जाता है कि यहां दर्शन मात्र से विजय का आशीर्वाद मिलता है—क्योंकि मां भक्त को भीतर से मजबूत बनाती हैं।

गुप्त नवरात्रि के दौरान तांत्रिक साधक विशेष साधना के लिए यहां आते हैं। वे दस महाविद्याओं की उपासना कर विशेष सिद्धि की कामना करते हैं। यह समय आत्मशुद्धि और साधना के लिए अत्यंत उपयुक्त माना जाता है। साधकों का विश्वास है कि इस अवधि में मां की कृपा शीघ्र प्राप्त होती है और जीवन के जटिल कार्य भी सरल हो जाते हैं।

आज के आधुनिक युग में, जब जीवन भागदौड़ और तनाव से भरा हुआ है, ऐसे पवित्र स्थलों का महत्व और भी बढ़ जाता है। लोग यहां केवल धार्मिक कारणों से ही नहीं, बल्कि मानसिक शांति और सकारात्मक ऊर्जा प्राप्त करने के लिए भी आते हैं। मां विजयासन के चरणों में बैठकर व्यक्ति कुछ क्षणों के लिए अपनी चिंताओं को भूल जाता है और आत्मिक शांति का अनुभव करता है।

अंततः, सलकनपुर की पहाड़ी पर स्थित मां विजयासन का यह मंदिर आस्था और विश्वास का जीवंत केंद्र है। यहां की यात्रा केवल एक धार्मिक यात्रा नहीं, बल्कि आत्मिक जागरण की यात्रा है। जो भी भक्त सच्चे मन से यहां आता है, वह अपने भीतर एक नई शक्ति और आत्मविश्वास का अनुभव करता है। यही कारण है कि यह मंदिर आज भी लाखों श्रद्धालुओं के लिए विजय, सिद्धि और कृपा का प्रतीक बना हुआ है। मां विजयासन की कृपा से हर बाधा दूर हो, हर प्रयास सफल हो और जीवन में सदैव विजय का प्रकाश बना रहे—यही इस पावन धाम का संदेश है।

RNI No. GUJHIN/2011/39228 Printed, Published & Owned by AJAYKUMAR RAMANLAL PRAJAPATI and Printed By (1) JIGNESH RASHIKBHAI GAJJAR at Vansh Corporation, A/8, Shayona Golden Estate, Shahibag, Ahmedabad - 380 004
(2) DESAI RAHUL MAHESHBHAI at Bhavani Offset, "Bhatiya Ni Wadi, Opp Kalupur Railway Station, Kalupur, Ahmedabad-380 002. (3) HADIK MAHESHBHAI DESAI at Bhoomi Offset, "Bhatiya Ni Wadi, Opp Kalupur Railway Station, Kalupur, Ahmedabad-380 002
and Published from TF-01, Nanakram Super Market, Ramnagar, Sabarmati, Ahmedabad - 380 005. Editor : MANOJKUMAR CHAMPAKLAL SHAH
Rage.Office: TF-01, Nanakram Super Market, Ramnagar, Sabarmati, Ahmedabad - 380 005 Gujarat,India. Phone : (O) 9016333307(M)9328333307,9825333307
Email : garvigujarat2007@gmail.com*garvigujarat2007@yahoo.com*Website : www.garvigujarat.co.in

राजकोट का शहरी विकास 'ईज ऑफ लिविंग' के विजन को चरितार्थ कर रहा है

आगामी समय में राजकोट के लोगों को मिलेगी अत्याधुनिक स्पोर्ट्स कॉम्प्लेक्स, कन्वेंशन सेंटर, आवास, फिल्टर प्लांट और लायन सफारी की सौगात

जीएनएस)। गांधीनगर : 'विकसित गुजरात से विकसित भारत' के मंत्र को चरितार्थ करने के लिए मुख्यमंत्री श्री भूपेंद्र पटेल के मार्गदर्शन में राज्य में शहरों के सर्वांगीण विकास के लिए विभिन्न परियोजनाएं तेजी से आगे बढ़ रही हैं। राज्य के महत्वपूर्ण शहर राजकोट में भी आगामी समय में विभिन्न परियोजनाओं के माध्यम से 'ईज ऑफ लिविंग' को बढ़ावा दिया जा रहा है। राजकोट महानगर पालिका की ओर से शहर में आवास, पुल और सड़कों सहित विभिन्न इंफ्रास्ट्रक्चर का निर्माण तेज गति से आगे बढ़ रहा है। इसके चलते आगामी दिनों में राजकोटवासियों को नए स्पोर्ट्स कॉम्प्लेक्स, फिल्टर प्लांट और लायन सफारी पार्क जैसी सुविधाओं की सौगात मिलेगी।

राजकोट को मिलेगी अत्याधुनिक स्पोर्ट्स कॉम्प्लेक्स और किफायती आवास की सुविधाएं

गुजरात सरकार के शहरी विकास वर्ष 2025 के अंतर्गत राजकोट महानगर पालिका की ओर से वार्ड नं. 17 में अंतरराष्ट्रीय स्तर का अत्याधुनिक स्पोर्ट्स कॉम्प्लेक्स तैयार किया जा रहा है। ओलंपिक और कॉमनवेल्थ खेलों को ध्यान में रखते हुए इस स्पोर्ट्स कॉम्प्लेक्स को अंतरराष्ट्रीय स्तर की डिजाइन और सुविधाओं के साथ तैयार किया जा रहा है। इस स्पोर्ट्स कॉम्प्लेक्स के तैयार होने के बाद राजकोट सहित सौराष्ट्र के खिलाड़ियों को उच्च स्तरीय प्रशिक्षण, आधुनिक इंफ्रास्ट्रक्चर और प्रतिस्पर्धी माहौल उपलब्ध होगा।

नागरिकों को किफायती दरों पर आवास उपलब्ध कराने के लिए राजकोट महानगर पालिका की ओर से प्रधानमंत्री आवास योजना के तहत 119 करोड़ रुपए से अधिक की लागत से रेल नगर क्षेत्र में आर्थिक रूप से कमजोर वर्ग (ईडब्ल्यूएस) – 2 श्रेणी के 1010 आवासों का निर्माण कार्य अपने अंतिम चरण में है। आवास योजना

में रूफटॉप सोलर सिस्टम, पानी की लाइन, ड्रेनेज सिस्टम, गैस पाइप लाइन, ऑटो डोर लिफ्ट, वर्षा जल संचयन, ऑटो डीजी जनरेटर सेट्स, फायर टैंक और फुलप्रूफ फायर सिस्टम तथा बच्चों के खेलने के मैदान जैसी सुविधाएं प्रदान की गई हैं। इस आवास योजना को इंटीग्रेटेड इन्क्लूसिव यानी एकीकृत और समावेशी तरीके से प्लान किया गया है, जिसमें आंगनबाड़ी और शॉपिंग सेंटर की सुविधाएं भी उपलब्ध होंगी।

अत्याधुनिक कन्वेंशन सेंटर और स्मार्ट सिटी में अत्याधुनिक वर्किंग विमेन हॉस्टल

राजकोट शहर सौराष्ट्र का औद्योगिक हब भी है। ऑटो इंजीनियरिंग सहित अनेक क्षेत्रों में सूक्ष्म, लघु और मध्यम उद्यमों (एमएसएमई) की महत्वपूर्ण भूमिका है। राजकोट में आगामी समय में आधुनिक कन्वेंशन सेंटर के निर्माण के लिए केंद्र और राज्य सरकार की ओर से ग्रांट आवंटित की गई है। स्मार्ट सिटी क्षेत्र में अत्याधुनिक वर्किंग विमेन हॉस्टल का निर्माण किया जाएगा, जिसके लिए 49 करोड़ रुपए की राशि आवंटित की गई है। इस हॉस्टल का निर्माण कार्य अभी प्रगति पर है।

फिल्टर प्लांट और पम्पिंग स्टेशन की सुविधाएं

राजकोट के विस्तार के साथ-साथ शुद्ध पेयजल की उपलब्धता के लिए न्यारा में 50 एमएलडी (दस लाख लीटर प्रतिदिन) क्षमता वाला फिल्टर प्लांट बनाने का आयोजन किया गया है। इसके लिए इस क्षेत्र में 342.72 लाख लीटर क्षमता का अंडरग्राउंड सम्प (भूमिगत भंडारण सुविधा) तथा पम्प हाउस का कार्य जारी है। इसके अलावा, माधापर क्षेत्र में 31.75 करोड़ रुपए के खर्च से 24.19 एमएल (मिलियन लीटर) क्षमता का ग्राउंड सर्विस रिजर्वायर (भूमि पर जल भंडारण के लिए टंकी) और 3 एमएल क्षमता के एलिवेटेड सर्विस रिजर्वायर (ऊंचाई पर पानी की टंकी) की सुविधाएं विकसित की जा रही हैं और पम्पिंग स्टेशन का कार्य जारी है।

लायन सफारी पार्क बनेगा आकर्षण का केंद्र

शहर के पर्यटन विकास और प्राकृतिक पर्यावरण के संरक्षण को ध्यान में रखकर राजकोट महानगर पालिका लायन सफारी पार्क प्रोजेक्ट के काम को तेज गति से आगे बढ़ा रही है। लायन सफारी पार्क प्रोजेक्ट के अंतर्गत अब तक कंपाउंड वॉल (परिसर की दीवार), जानवरों और आगंतुकों की सुरक्षा को ध्यान में रखकर 5 मीटर ऊंची चेन लिंक फेंसिंग दीवार (बाड़) का काम, जानवरों के लिए आवश्यक सुविधाएं मुहैया कराने के उद्देश्य से नाइट शेल्टर, पार्क के अंदरूनी क्षेत्र में आसान आवाजाही के लिए आंतरिक सड़कें बनाने का काम तथा पार्क क्षेत्र के बाहर इंस्पेक्शन रोड का निर्माण भी पूरा कर लिया गया है। आगामी दिनों में लायन सफारी पार्क शहर के लोगों के लिए आकर्षण का एक नया केंद्र बनेगा।

राज्य सरकार ने राजकोट शहर को और अधिक उन्नत बनाने के लिए अविरत प्रयास किए हैं। अटल सरोवर, अखिल भारतीय आयुर्विज्ञान संस्थान (एम्स), अंतरराष्ट्रीय हवाई अड्डा और कई फ्लाईओवर सहित विभिन्न विकास परियोजनाओं से राजकोट का कायापलट हुआ है और शहरीजनों की सुख-सुविधा में वृद्धि हुई है। ये सभी विकास कार्य शहरीजनों की खुशहाली बढ़ाने की राज्य सरकार की प्रतिबद्धता को दिखाते हैं।

डायमंड सिटी से ग्लोबल हब तक: सूरत का निर्यात 10.55 अरब डॉलर, अमेरिका, हांगकांग और यूएई प्रमुख बाजार

जीएनएस)। गांधीनगर : भारत की निर्यात आधारित विकास रणनीति को नई गति मिल रही है और इस दिशा में गुजरात एक बार फिर अग्रणी राज्य के रूप में उभरा है। वित्तीय वर्ष 2024-25 में गुजरात ने 9.83 लाख करोड़ रुपये के निर्यात के साथ राष्ट्रीय स्तर पर शीर्ष स्थान बरकरार रखा, जो देश के कुल निर्यात का 27 प्रतिशत से अधिक है।

इस उपलब्धि में सूरत की भूमिका अत्यंत महत्वपूर्ण रही है। 'डायमंड सिटी' के रूप में वैश्विक पहचान रखने वाले सूरत ने वित्तीय वर्ष 2024-25 में 10.55 अरब अमेरिकी डॉलर का निर्यात दर्ज कर अपनी आर्थिक क्षमता का सशक्त प्रदर्शन किया है।

सूरत का निर्यात मुख्य रूप से रत्न एवं आभूषण क्षेत्र पर आधारित है। सूरत क्षेत्र में विश्व के लगभग 90 प्रतिशत हीरों का प्रसंस्करण होता है और यह कुल निर्यात में लगभग 70 प्रतिशत हिस्सेदारी रखता है। हालांकि, सूरत की अर्थव्यवस्था अब हीरा उद्योग तक सीमित नहीं रही। मानव-निर्मित रेशे, जैविक रसायन, यांत्रिक मशीनरी तथा विविध वस्त्र

निर्माण जैसे क्षेत्र तेजी से उभर रहे हैं, जिससे शहर का औद्योगिक आधार और व्यापक हुआ है।

वैश्विक बाजारों में भी सूरत की मजबूत पकड़ बनी हुई है। संयुक्त राज्य अमेरिका 32 प्रतिशत हिस्सेदारी के साथ सूरत का सबसे बड़ा निर्यात गंतव्य बना हुआ है। हांगकांग (18 प्रतिशत) और संयुक्त अरब अमीरात (14 प्रतिशत) भी प्रमुख व्यापारिक केंद्र हैं। इसके अलावा बेल्जियम और इज़राइल जैसे स्थापित बाजारों के साथ-साथ सऊदी अरब और थाईलैंड जैसे उभरते देशों में भी सूरत की पहुंच लगातार बढ़ रही है।

इसी पृष्ठभूमि में अप्रैल 2026 में सूरत में आयोजित होने वाली वाइब्रेंट गुजरात रीजनल कॉन्फ्रेंस (वीजीआरसी) दक्षिण गुजरात को वैश्विक निर्यात केंद्र के रूप में स्थापित करने की दिशा में एक महत्वपूर्ण कदम मानी जा रही है। यह सम्मेलन भरूच, डांग, नवसारी, सूरत, तापी और वलसाड जिलों को आच्छादित करेगा तथा रसायन एवं पेट्रोकेमिकल, वस्त्र एवं परिधान, रत्न एवं आभूषण, फार्मास्यूटिकल्स तथा कृषि एवं खाद्य प्रसंस्करण जैसे उच्च-विकास क्षेत्रों को प्रमुखता से प्रदर्शित करेगा।

विशेषज्ञों के अनुसार, हाल में संपन्न भारत-यूरोपीय संघ मुक्त व्यापार समझौते और भारत-अमेरिका व्यापार समझौते के परिप्रेक्ष्य में यह सम्मेलन दक्षिण गुजरात के निर्यातकों और निवेशकों के लिए नए अवसरों के द्वार खोल सकता है।

'विकसित भारत@2047' और 'विकसित गुजरात@2047' की परिकल्पना के अनुरूप, यह सम्मेलन स्थानीय एमएसएमई को वैश्विक बाजारों से जोड़ने और 'वोकल फॉर लोकल' से 'लोकल फॉर ग्लोबल' की दिशा में ठोस पहल को गति देने वाला मंच सिद्ध हो सकता है।

पश्चिम रेलवे ने फिल्म शूटिंग से अर्जित की ₹1.72 करोड़ की रिकॉर्ड आय

जीएनएस)। यात्रियों और माल परिवहन से होने वाली आय को बढ़ाने के साथ-साथ पश्चिम रेलवे गैर-किराया राजस्व बढ़ाने के लिए कई नवाचारी पहल कर रहा है। इसी दिशा में पश्चिम रेलवे ने वर्ष 2025–26 के दौरान फिल्म शूटिंग से आय अर्जित करने में एक नया कीर्तिमान स्थापित किया है। इस अवधि में 15 फरवरी, 2026 तक पश्चिम रेलवे ने फिल्म शूटिंग से अब तक की सर्वाधिक लगभग 1.72 करोड़ की आय अर्जित की है, जो पिछले वर्ष की तुलना में लगभग 25% अधिक है। इससे पहले वर्ष 2022–23 में पश्चिम रेलवे ने फिल्म शूटिंग से लगभग 1.64 करोड़ की आय अर्जित की थी। यह इस क्षेत्र में निरंतर वृद्धि को दर्शाता है तथा इस प्रकार की आय अर्जित करने में पश्चिम रेलवे को देश के अग्रणी रेलवे जोनों में स्थान दिलाता है।

पश्चिम रेलवे के मुख्य जनसंपर्क अधिकारी श्री विनीत अभिषेक द्वारा जारी एक प्रेस विज्ञप्ति के अनुसार, पश्चिम रेलवे के अंतर्गत विभिन्न स्टेशनों, ट्रेनों और रेलवे परिसरों को फिल्मों, टेलीविजन धारावाहिकों, वेब सीरीज तथा विज्ञापन फिल्मों की शूटिंग के लिए उपलब्ध कराया जाता है। समय-समय पर मेल/एक्सप्रेस ट्रेनों के साथ-साथ

उपनगरीय लोकल ट्रेनों में भी शूटिंग की अनुमति प्रदान की जाती है। इसके अतिरिक्त रेलवे स्टेशन, प्लेटफॉर्म, यार्ड तथा अन्य रेलवे परिसरों को भी शूटिंग के लिए उपलब्ध कराया जाता है, जिससे फिल्म निर्माताओं को वास्तविक और जीवंत लोकेशन मिलती है।

पश्चिम रेलवे ने शूटिंग अनुमति प्रदान करने की प्रक्रिया को सरल और सुव्यवस्थित किया है, जिससे प्रोडक्शन हाउस और फिल्म निर्माताओं को निर्धारित समय में आवश्यक स्वीकृतियाँ प्राप्त करना आसान हो गया है। अब सिंगल विंडो प्रणाली के माध्यम से प्रोडक्शन हाउस को केवल शूटिंग के लिए आवेदन करना होता है तथा अन्य सभी रेलवे स्वीकृतियाँ जनसंपर्क विभाग द्वारा प्राप्त कर अनुमति जारी की जाती है। साथ ही, ऐसी शूटिंग गतिविधियों के दौरान सुरक्षा, परिचालन आवश्यकताओं और यात्रियों की सुविधा को सर्वोच्च प्राथमिकता दी जाती है।

यह उल्लेखनीय है कि पहली बार भारत की सबसे आधुनिक और प्रीमियम ट्रेन वंदे भारत एक्सप्रेस के अंदर फिल्म शूटिंग की अनुमति पश्चिम रेलवे द्वारा प्रदान की गई। इस उपलब्धि से फिल्म उद्योग को विश्वस्तरीय रेलवे अवसंरचना का उपयोग करने का अवसर मिला तथा पश्चिम रेलवे के प्रगतिशील और नवाचारी दृष्टिकोण को भी प्रदर्शित किया गया।

पश्चिम रेलवे के विभिन्न स्थानों पर जिन फिल्मों की शूटिंग की गई, उनमें ओ रोमियो, फतेह, तेरा यार हूँ मैं, सिकंदर तथा लिजोल, पेटीएम, कोलगेट जैसे अनेक विज्ञापन शामिल हैं।

पश्चिम रेलवे भविष्य में भी फिल्म उद्योग के साथ समन्वय को और सुदृढ़ करने, नए अवसर सृजित करने तथा गैर-किराया राजस्व में वृद्धि करने के लिए प्रतिबद्ध है।

कांग्रेस पार्टी द्वारा 'एआई समिट' के दौरान विरोध प्रदर्शन करने पर मुख्यमंत्री श्री भूपेंद्र पटेल की प्रतिक्रिया

जीएनएस)। गांधीनगर : मुख्यमंत्री श्री भूपेंद्र पटेल ने कहा कि विश्व नेता प्रधानमंत्री श्री नरेन्द्र मोदी के मार्गदर्शन और नेतृत्व में 'एआई इम्पैक्ट समिट' की शानदार सफलता के जरिए दुनिया ने एक नए भारत का उदय देखा है।

उन्होंने कहा कि भारत के युवाओं के सपनों को एक नई ऊंचाई मिली है। इस पहल से स्टार्टअप्स और इमर्जिंग सेक्टर में युवाओं के लिए अपार अवसरों का निर्माण हुआ है।

इस उपलब्धि और इस समिट से वैश्विक स्तर पर उभर रही भारत की छवि को स्वीकार न कर पाने वाले लोग इसका विरोध कर रहे हैं।

श्री पटेल ने कहा कि कांग्रेस ने भाजपा का विरोध करते-करते भारत का विरोध करने की राह अपना ली है। कांग्रेस यह विरोध करके अपनी मानसिक अस्थिरता का परिचय दे रही है।

उन्होंने कहा कि जब-जब दुनिया में भारत का डंका बजता है, तब उसका विरोध करना कांग्रेस की पुरानी आदत है।

अब, जब देश की युवा शक्ति के लिए विकास के नए अवसर खुले हैं, तब उन युवाओं के मन में भी शंकाएं पैदा करने और केवल सस्ता प्रचार प्राप्त करने के उद्देश्य से वे 'एआई समिट' का भी विरोध कर रहे हैं।

कांग्रेस को अपनी इस करतूत पर शर्म आनी चाहिए और उसे इसके लिए देश से माफी मांगनी चाहिए।

यात्रियों की सुविधा हेतु भावनगर मंडल के मीटरगेज सेक्शन में 23 फरवरी से जूनागढ़ चलाला के बीच चलेगी दैनिक स्पेशल ट्रेन

जीएनएस)। यात्रियों की सुविधा एवं उनकी मांग को ध्यान में रखते हुए पश्चिम रेलवे द्वारा भावनगर रेलवे मंडल के मीटरगेज सेक्शन में विशेष किराये पर जूनागढ़-चलाला स्टेशनों के बीच 23 फरवरी, 2026 (सोमवार) से

दैनिक स्पेशल ट्रेन चलाने का निर्णय लिया गया है। भावनगर मंडल के वरिष्ठ मंडल वाणिज्य प्रबंधक श्री अतुल कुमार त्रिपाठी के अनुसार ट्रेन का विवरण निम्नानुसार है:

जूनागढ़ से चलाला को जाने वाली दैनिक मीटरगेज स्पेशल ट्रेन जूनागढ़ स्टेशन से सुबह 10.40 बजे प्रस्थान करेगी तथा यह ट्रेन दोपहर 14.10 बजे चलाला स्टेशन पहुंचेगी।

वापसी में चलाला से जूनागढ़ को जाने वाली दैनिक मीटरगेज स्पेशल ट्रेन चलाला से दोपहर 14.40 बजे प्रस्थान करेगी तथा 17.35 बजे जूनागढ़ स्टेशन पहुंचेगी।

यह ट्रेन मार्ग में तोरणीया, बीलखा, जुनी चावंड, वीसावदर, जेतलवड, भाडेर और धारी स्टेशनों पर दोनों दिशाओं में रूकेगी।

मंडल रेल प्रबंधक श्री दिनेश वर्मा ने यात्रियों से अनुरोध किया है कि वे इस ट्रेन का अधिक से अधिक लाभ लें।

मेल/एक्सप्रेस ट्रेनों में सामान्य श्रेणी (जनरल) कोचों की स्थायी वृद्धि, यात्रियों को मिलेगी अतिरिक्त सुविधा

जीएनएस)। यात्रियों की सुविधा एवं रेलवे बोर्ड के दिशा-निर्देशों के अनुरूप प्रत्येक मेल/एक्सप्रेस ट्रेन में न्यूनतम 04 सामान्य श्रेणी कोच उपलब्ध कराने के उद्देश्य से पश्चिम रेलवे द्वारा भावनगर मंडल से होकर चलने वाली ट्रेनों की संरचना में स्थायी रूप से सामान्य श्रेणी कोचों की वृद्धि को स्वीकृति प्रदान की गई है। इस निर्णय से सामान्य श्रेणी में यात्रा करने वाले यात्रियों को अतिरिक्त स्थान उपलब्ध होगा तथा भीड़ प्रबंधन में भी सहायता मिलेगी।

भावनगर मंडल के वरिष्ठ मंडल वाणिज्य प्रबंधक श्री अतुल कुमार त्रिपाठी के अनुसार संशोधित कोच संरचना का विवरण निम्नानुसार है —

1. गाड़ी संख्या 12905/12906 पोरबंदर–शालीमार–पोरबंदर एक्सप्रेस संशोधित संरचना के अनुसार जनरल

कोचों की संख्या 3 से बढ़ाकर 4 किए जाएंगे। ये कोच पोरबंदर से 29 अप्रैल 2026 से तथा शालीमार से 01 मई 2026 से प्रभावी होंगे।

2. गाड़ी संख्या 20968/20967 पोरबंदर–सिकंदराबाद–पोरबंदर एक्सप्रेस ट्रेन संरचना में संशोधन कर सामान्य श्रेणी कोचों की संख्या 3 से बढ़ाकर 4 की जाएगी। ये कोच पोरबंदर से 28 अप्रैल 2026 से तथा सिकंदराबाद से 29 अप्रैल 2026 से प्रभावी होंगे।

3. गाड़ी संख्या 12949/12950 पोरबंदर–सांतरागाछी–पोरबंदर एक्सप्रेस संशोधित संरचना के अनुसार सामान्य श्रेणी कोचों की संख्या 2 से बढ़ाकर 4 किए जाएंगे। ये कोच पोरबंदर से 01 मई 2026 से तथा सांतरागाछी से 03 मई 2026 से प्रभावी होंगे।

रेल प्रशासन यात्रियों से अनुरोध करता है कि यात्रा के दौरान उपलब्ध सुविधाओं का लाभ उठाते हुए सुरक्षित एवं आरामदायक यात्रा सुनिश्चित करें।

अहमदाबाद मंडल में दिसंबर 2025 से 19 फरवरी 2026 तक 484 अलार्म चेन पुलिंग की घटनाएँ दर्ज

449 मामलों में केस दर्ज तथा 48700 का वसूला जुर्माना

जीएनएस)। पश्चिम रेलवे के अहमदाबाद मंडल में दिसंबर 2025 से 19 फरवरी 2026 के बीच कुल 484 अलार्म चेन पुलिंग (ACP) की घटनाएँ दर्ज की गईं। इनमें से 449 मामलों में विधिवत केस दर्ज किए गए, जबकि शेष मामलों में प्रारंभिक जांच के उपरांत वैधानिक कारणों से केस दर्ज नहीं किया गया। इन मामलों में कार्रवाई करते हुए रेलवे सुरक्षा बल (RPF) द्वारा 408 व्यक्तियों को गिरफ्तार किया गया तथा 48,700 का जुर्माना लगाया गया।

अहमदाबाद मंडल का रेलवे सुरक्षा बल (RPF) यात्रियों की सुरक्षा, रेलवे संपत्ति की रक्षा तथा स्टेशनों पर सुरक्षित वातावरण बनाए रखने के लिए पूर्ण निष्ठा एवं समर्पण के साथ कार्य कर रहा है। वर्ष 2026 के दौरान अलार्म चेन पुलिंग की घटनाओं पर कड़ी निगरानी रखते हुए RPF ने सतर्कता, त्वरित कार्रवाई एवं प्रभावी समन्वय के माध्यम से उल्लेखनीय नियंत्रण स्थापित किया है, जिससे ट्रेनों की समयपालनता एवं निर्बाध रेल परिचालन सुनिश्चित हो सके।

स्टेशन स्तर पर अहमदाबाद, साबरमती,

मणिनगर, महेसाणा, विरामगाम एवं गांधीधाम में अलार्म चेन पुलिंग की घटनाएँ अपेक्षाकृत अधिक दर्ज की गईं। वहीं सेक्शन स्तर पर गेरतपुर–अहमदाबाद, अहमदाबाद–विरामगाम, उंझा–पालनपुर, सामाख्याली–भुज तथा अहमदाबाद–साबरमती खंडों में अधिक घटनाएँ सामने आईं, जहाँ RPF द्वारा अतिरिक्त निगरानी एवं विशेष अभियान चलाए गए।

अलार्म चेन पुलिंग के प्रमुख कारणों में गलत ट्रेन या कोच में चढ़ जाना, सामान छूट जाना अथवा सहयात्री के छूट जाने जैसी परिस्थितियाँ प्रमुख रूप से पाई गईं। इन कारणों को दृष्टिगत रखते हुए RPF द्वारा यात्रियों को जागरूक करने हेतु नियमित अभियान चलाए जा रहे हैं तथा रेलवे कर्मचारियों के साथ बेहतर समन्वय स्थापित किया गया है। इसके अतिरिक्त आश्रम एक्सप्रेस, कच्छ एक्सप्रेस, अला हज़रत एक्सप्रेस, अरावली एक्सप्रेस एवं लोकशक्ति एक्सप्रेस जैसी कुछ ट्रेनों में अलार्म चेन पुलिंग की घटनाएँ अपेक्षाकृत अधिक पाई गईं, जिन पर विशेष निगरानी रखी जा रही है। रेल प्रशासन एवं RPF यात्रियों से अपील करता है कि अलार्म चेन का उपयोग केवल आपात स्थिति में ही करें। अनावश्यक अलार्म चेन पुलिंग न केवल ट्रेन परिचालन को बाधित करता है, बल्कि अन्य यात्रियों की सुरक्षा एवं सुविधा को भी प्रभावित करता है।

ओपीडी समय परिवर्तन से मण्डल रेलवे अस्पताल भावनगर में नई ऊर्जा, कर्मचारियों एवं मरीजों में खुशी की लहर

जीएनएस)। रेलवे बोर्ड (भारत) के निर्देशानुसार पश्चिम रेलवे के अंतर्गत मण्डल रेलवे अस्पताल, भावनगर में ओपीडी समय-सारणी में किया गया हालिया परिवर्तन मरीजों एवं कर्मचारियों की सुविधा को केंद्र में रखकर उठाया गया एक महत्वपूर्ण एवं जनहितकारी कदम साबित हो रहा है। इस सुधार से अस्पताल की स्वास्थ्य सेवाओं में कार्यकुशलता, समय प्रबंधन तथा मरीज संतुष्टि में उल्लेखनीय वृद्धि देखने को मिल रही है।

पूर्व में अस्पताल की ओपीडी सेवाएँ प्रातः 09:00 बजे से 01:00 बजे तक तथा सायं 04:00 बजे से 06:00 बजे तक संचालित होती थीं। दोपहर के लगभग तीन घंटे के अंतराल के कारण दूर-दराज से आने वाले मरीजों एवं रेलवे कर्मचारियों को अनावश्यक प्रतीक्षा का सामना करना पड़ता था। परिवहन सुविधाओं की सीमित उपलब्धता के कारण कई बार कर्मचारियों तथा उनके आश्रितों को शाम तक रुकना अथवा अगले दिन तक ठहरना पड़ता था, जिससे समय एवं संसाधनों की हानि के साथ असुविधा भी होती थी।

नई समय-सारणी के अनुसार अब ओपीडी सेवाएँ प्रातः 09:00 बजे से 01:00 बजे तक तथा दोपहर 02:00 बजे से 04:00 बजे तक निरंतर संचालित की जा रही हैं।

इस सुव्यवस्थित व्यवस्था से मरीजों को समय पर चिकित्सकीय परामर्श, आवश्यक जांच तथा दवा वितरण की सुविधा सहज रूप से उपलब्ध हो रही है। मरीज अब 04:00 बजे तक अपनी चिकित्सा प्रक्रिया पूर्ण कर अपने गंतव्य स्थानों के लिए सुविधाजनक रूप से प्रस्थान कर पा रहे हैं। इस सकारात्मक परिवर्तन से अस्पताल परिसर में नई ऊर्जा और उत्साह का वातावरण बना है। कर्मचारियों में संतोष एवं प्रेरणा की भावना देखने को मिल रही है, वहीं मरीजों एवं उनके परिजनों ने भी इस पहल की खुले दिल से सराहना की है। यह सुधार अस्पताल प्रशासन की सेवा-भावना, संवेदनशील दृष्टिकोण तथा बेहतर स्वास्थ्य सेवाएँ प्रदान करने की प्रतिबद्धता को स्पष्ट रूप से दर्शाता है।

ओपीडी समय में किया गया यह परिवर्तन न केवल प्रभावी समय प्रबंधन का उत्कृष्ट उदाहरण है, बल्कि "मरीज पहले" की भावना को सशक्त रूप से अभिव्यक्त करते हुए रेलवे स्वास्थ्य सेवाओं को अधिक सुलभ, सुव्यवस्थित एवं जनकेंद्रित बनाने की दिशा में एक महत्वपूर्ण कदम है।

गुजरात बजट पर सियासी घमासान: आम आदमी पार्टी का आरोप—हर वर्ग की उम्मीदों को मिला निराशा का जवाब

जीएनएस)। गुजरात के हालिया बजट को लेकर राजनीतिक माहौल अचानक गरमा गया है। राज्य की सियासत में आम आदमी पार्टी ने भारतीय जनता पार्टी की सरकार पर तीखा हमला बोलते हुए बजट को आम जनता के साथ "धोखा" करार दिया है। आम आदमी पार्टी के राष्ट्रीय संयोजक अरविंद केजरीवाल ने कहा कि यह बजट जनता की उम्मीदों पर खरा नहीं उतरा और इसमें शिक्षा, स्वास्थ्य, किसानों, युवाओं, व्यापारियों, महिलाओं और गरीब वर्ग के लिए कोई ठोस योजना नहीं दिखाई देती। उन्होंने कहा कि सरकारी बजट केवल आंकड़ों का दस्तावेज नहीं होता, बल्कि यह आम लोगों के जीवन की दिशा तय करता है, लेकिन इस बार गुजरात के बजट में आम आदमी के भविष्य को लेकर कोई स्पष्ट दृष्टि नजर नहीं आई।

अरविंद केजरीवाल ने अपने बयान में कहा कि हर साल जब बजट पेश होता है, तो आम जनता को उससे बड़ी उम्मीदें होती हैं। लोगों को लगता है कि उनकी रोजमर्रा की जिंदगी में कुछ राहत मिलेगी, बच्चों की पढ़ाई बेहतर होगी, अस्पतालों में इलाज सस्ता और सुलभ होगा, किसानों को सिंचाई और फसल के लिए बेहतर सुविधाएं मिलेंगी और युवाओं को रोजगार के नए अवसर मिलेंगे। लेकिन इस बार गुजरात सरकार के बजट ने इन सभी उम्मीदों को अधूरा छोड़ दिया। उन्होंने कहा कि यह बजट न केवल विकास की दिशा में कमजोर दिखाई देता है, बल्कि यह सरकार की जनता के प्रति उदासीनता को भी दर्शाता है।

केजरीवाल ने कहा कि गुजरात में लंबे समय से भाजपा की सरकार है, लेकिन इसके बावजूद शिक्षा और स्वास्थ्य व्यवस्था में वह सुधार नहीं हो पाया, जिसकी लोगों को उम्मीद थी। उन्होंने आरोप लगाया कि राज्य में कई सरकारी स्कूलों की स्थिति संतोषजनक नहीं है और अस्पतालों में भी आम लोगों को उचित सुविधाएं नहीं मिल पा रही हैं। उनका कहना था कि सरकार को इन बुनियादी क्षेत्रों पर विशेष ध्यान देना चाहिए था, लेकिन बजट में इन विषयों को प्राथमिकता नहीं दी गई।

उन्होंने यह भी कहा कि चुनाव नजदीक आते ही आमतौर पर सरकारें जनता को राहत देने के लिए नई योजनाएं और सुविधाएं घोषित करती हैं, लेकिन

गुजरात सरकार के इस बजट में ऐसा कोई संकेत नहीं मिला। उन्होंने कहा कि इससे यह स्पष्ट होता है कि सरकार को जनता के वोट की चिंता नहीं है।

उन्होंने यह भी कहा कि गुजरात के लोग अब बदलाव की ओर देख रहे हैं और उन्हें उम्मीद है कि भविष्य में नई राजनीतिक दिशा राज्य को बेहतर विकास की ओर ले जाएगी।

अपने बयान में केजरीवाल ने पंजाब का उदाहरण देते हुए कहा कि वहां आम आदमी पार्टी की सरकार ने आम लोगों के लिए कई महत्वपूर्ण कदम उठाए हैं। उन्होंने कहा कि पंजाब में हर परिवार को 10 लाख रुपये तक का स्वास्थ्य बीमा दिया गया है, जिससे गरीब और मध्यम वर्ग के लोग भी बड़े निजी अस्पतालों में इलाज करा सकते हैं। उनका कहना था कि इस तरह की योजनाएं सरकार की जनता के प्रति जिम्मेदारी को दर्शाती हैं और यही मॉडल अन्य राज्यों में भी अपनाया जा सकता है।

गुजरात की सड़कों और बुनियादी ढांचे को लेकर भी उन्होंने सवाल उठाए। उन्होंने कहा कि कई क्षेत्रों में सड़कों की स्थिति खराब है और लोगों को कम दूरी तय करने में भी अधिक समय लग जाता है। उन्होंने कहा कि जब देश 21वीं सदी में तेजी से आगे बढ़ रहा है, तब बुनियादी सुविधाओं का इस स्तर पर होना चिंता का विषय है। उन्होंने किसानों की समस्याओं का भी उल्लेख करते हुए कहा कि सिंचाई के लिए पर्याप्त पानी की व्यवस्था नहीं होने से किसानों को कठिनाइयों का सामना करना पड़ रहा है। इस मुद्दे पर पंजाब के मुख्यमंत्री भगवंत मान ने भी अपनी प्रतिक्रिया दी और कहा कि अक्सर बजट का आकार बहुत बड़ा होता है, लेकिन उसका लाभ आम लोगों तक नहीं पहुंचता। उन्होंने कहा कि इस बार गुजरात और केंद्र दोनों के बजट में आम जनता के लिए पर्याप्त प्रावधान नजर नहीं आते। उनका आरोप था कि बजट का झुकाव बड़े व्यापारिक वर्ग की ओर अधिक दिखाई देता है, जबकि छोटे व्यापारियों, किसानों और गरीब वर्ग की जरूरतों को नजरअंदाज किया गया है।

भगवंत मान ने कहा कि लोकतंत्र में बजट जनता की जरूरतों के अनुसार बनाया जाना चाहिए, क्योंकि यह केवल आर्थिक दस्तावेज नहीं, बल्कि सामाजिक विकास का रोडमैप होता है। उन्होंने कहा कि अगर बजट में आम लोगों के लिए पर्याप्त योजनाएं नहीं होंगी, तो इससे जनता में निराशा बढ़ेगी और विकास की गति प्रभावित होगी।

उन्होंने गुजरात की जनता से अपील की कि वे अपने भविष्य और विकास को ध्यान में रखते हुए सही निर्णय लें। आम आदमी पार्टी के अन्य नेताओं का भी कहना है कि गुजरात की राजनीति में अब बदलाव की आवश्यकता महसूस की जा रही है। उन्होंने कहा कि पार्टी के कई नेता साधारण पृष्ठभूमि से आते हैं और जनता के बीच से ही उभरे हैं। उनका मानना है कि यही कारण है कि लोगों में उनके प्रति विश्वास बढ़ रहा है। पार्टी का कहना है कि वह आम लोगों की समस्याओं को समझती है और उनके समाधान के लिए काम करना चाहती है।

इस पूरे घटनाक्रम ने गुजरात की राजनीति में एक नई बहस को जन्म दे दिया है। जहां एक ओर आम आदमी पार्टी बजट को लेकर सरकार पर सवाल उठा रही है, वहीं भाजपा की ओर से भी अपने बजट को विकासोन्मुखी और जनहितकारी बताया जा रहा है। आने वाले समय में यह मुद्दा राजनीतिक चर्चा का केंद्र बना रहेगा और इसका प्रभाव राज्य की राजनीति पर भी दिखाई दे सकता है।

गुजरात का बजट अब केवल आर्थिक दस्तावेज नहीं रह गया है, बल्कि यह राजनीतिक विमर्श का विषय बन चुका है। जनता भी अब इस बात पर ध्यान दे रही है कि बजट में उनके जीवन से जुड़े मुद्दों को कितना महत्व दिया गया है। यह विवाद इस बात का संकेत है कि आने वाले समय में राज्य की राजनीति और भी अधिक सक्रिय और प्रतिस्पर्धात्मक हो सकती है।

इस पूरे घटनाक्रम ने यह स्पष्ट कर दिया है कि बजट केवल आंकड़ों का खेल नहीं होता, बल्कि यह जनता के विश्वास और उम्मीदों का प्रतिबिंब होता है। जब लोग अपने जीवन में सुधार की उम्मीद करते हैं, तो वे सरकार की नीतियों और फैसलों को ध्यान से देखते हैं। अब यह समय बताएगा कि गुजरात की जनता इस बजट को किस नजर से देखती है और भविष्य में राज्य की राजनीति किस दिशा में आगे बढ़ती है।

पहचान छिपाकर शादी पर सख्ती की तैयारी: गुजरात सरकार विवाह पंजीकरण कानून में बड़ा बदलाव लाने की ओर

जीएनएस)। गुजरात में विवाह पंजीकरण को लेकर एक बड़ा कानूनी बदलाव प्रस्तावित किया गया है, जिसने सामाजिक और राजनीतिक हलकों में व्यापक चर्चा को जन्म दे दिया है। राज्य सरकार ने गुजरात विवाह पंजीकरण अधिनियम, 2006 में संशोधन का प्रस्ताव रखते हुए यह संकेत दिया है कि अब विवाह पंजीकरण की प्रक्रिया पहले से अधिक सख्त और पारदर्शी बनाई जाएगी। सरकार का कहना है कि यह कदम विशेष रूप से युवा महिलाओं की सुरक्षा सुनिश्चित करने और धोखे से होने वाली शादियों को रोकने के उद्देश्य से उठाया जा रहा है।

राज्य विधानसभा में इस प्रस्ताव को सार्वजनिक महत्व का विषय बताते हुए गुजरात के गृह राज्य मंत्री हर्ष संघवी ने कहा कि हाल के वर्षों में ऐसे कई मामले सामने आए हैं, जहां पहचान छिपाकर विवाह करने की घटनाएं सामने आईं। उन्होंने कहा कि सरकार प्रेम विवाह के खिलाफ नहीं है, लेकिन यदि कोई व्यक्ति अपनी असली पहचान छिपाकर किसी लड़की से विवाह करता है, तो यह न केवल धोखा है, बल्कि यह कानून और सामाजिक विश्वास के साथ भी गंभीर खिलवाड़ है। उन्होंने स्पष्ट किया कि सरकार का उद्देश्य किसी भी धर्म या समुदाय के खिलाफ कदम उठाना नहीं है, बल्कि यह सुनिश्चित करना है कि किसी भी लड़की के साथ छल या धोखा न हो।

सरकार द्वारा प्रस्तावित संशोधन के तहत विवाह पंजीकरण के लिए माता-पिता की सहमति को अनिवार्य बनाने की योजना है। इसका मतलब यह होगा कि जब कोई जोड़ा अपनी शादी का पंजीकरण कराने के लिए आवेदन करेगा, तो संबंधित अधिकारियों द्वारा दोनों पक्षों के माता-पिता को इसकी आधिकारिक सूचना दी जाएगी। यह सूचना इलेक्ट्रॉनिक माध्यम, जैसे व्हाट्सएप संदेश या ईमेल के जरिए,

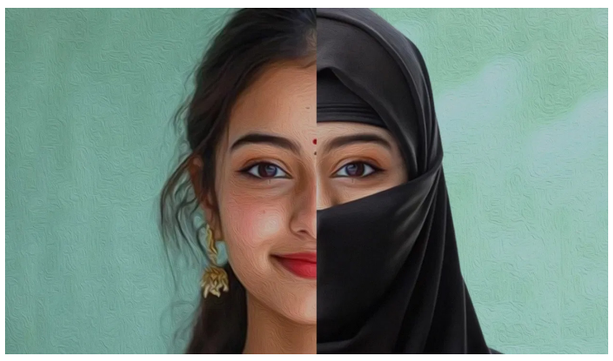

या फिर आवश्यक होने पर भौतिक रूप से भी दी जा सकेगी। असिस्टेंट रजिस्ट्रार द्वारा आवेदन की पुष्टि के दस कार्य दिवसों के भीतर माता-पिता को इस बारे में सूचित करना अनिवार्य होगा।

सरकार का मानना है कि इस प्रक्रिया से विवाह पंजीकरण में पारदर्शिता आएगी और यदि कोई व्यक्ति गलत पहचान के आधार पर शादी करने की कोशिश करता है, तो उसे रोका जा सकेगा। मंत्री ने उदाहरण देते हुए कहा कि यदि कोई व्यक्ति अपनी वास्तविक पहचान छिपाकर किसी अन्य नाम से शादी करने की कोशिश करता है, तो उसके खिलाफ सख्त कार्रवाई की जाएगी। उन्होंने कहा कि राज्य की बेटियों की सुरक्षा सरकार की सर्वोच्च प्राथमिकता है और इसके लिए आवश्यक सभी कदम उठाए जाएंगे। इस प्रस्ताव के समर्थन में सरकार ने कुछ जिलों के मामलों का उल्लेख भी किया। पंचमहल, बनासकांठा, नवसारी और मेहसाणा जैसे जिलों में ऐसे विवाह पंजीकरण के मामले सामने आए, जिनमें दस्तावेजों और पहचान को लेकर सवाल उठे। सरकार का कहना है कि इन घटनाओं ने विवाह पंजीकरण प्रक्रिया में सुधार की आवश्यकता को स्पष्ट किया है। यही कारण है कि अब एक ऐसी प्रणाली विकसित करने का प्रयास किया जा रहा है, जिससे किसी भी प्रकार के धोखे या गलत जानकारी के आधार पर विवाह पंजीकरण संभव न हो सके।

प्रस्तावित संशोधन के तहत विवाह पंजीकरण के लिए एक समर्पित ऑनलाइन पोर्टल भी बनाया जाएगा। इस पोर्टल के माध्यम से आवेदन, सत्यापन और सूचना देने की प्रक्रिया पूरी तरह डिजिटल और पारदर्शी होगी। सरकार का मानना है कि डिजिटल प्रणाली अपनाने से प्रक्रिया अधिक प्रभावी और सुरक्षित होगी। साथ ही, इससे दस्तावेजों की जांच और सत्यापन में भी आसानी होगी।

इस नए प्रस्ताव के अनुसार विवाह पंजीकरण की पूरी प्रक्रिया में कम से कम 30 दिन का समय लगेगा। इस दौरान सभी आवश्यक दस्तावेजों की जांच की जाएगी और माता-पिता को सूचना देने की प्रक्रिया पूरी की जाएगी। सरकार का कहना है कि यह समयावधि आवश्यक है, ताकि किसी भी प्रकार की जल्दबाजी में गलत या धोखाधड़ी वाला पंजीकरण न हो सके। सरकार ने इस प्रस्ताव पर जनता की राय भी आमंत्रित की है। नागरिकों और सामाजिक संगठनों को अपने सुझाव और सिफारिशें देने के लिए 30 दिन का समय दिया गया है। इन सुझावों की समीक्षा के लिए एक विशेष समिति का गठन किया जाएगा, जो सभी पहलुओं पर विचार करने के बाद अंतिम निर्णय लेने में सरकार की सहायता करेगी। इससे यह सुनिश्चित किया जाएगा कि कानून में किए जाने वाले बदलाव संतुलित और न्यायसंगत हों।

इस प्रस्ताव की पृष्ठभूमि में सामाजिक संगठनों की मांग भी शामिल है। दिसंबर 2025 में पाटीदार अनामत आंदोलन समिति ने मुख्यमंत्री भूपेंद्र पटेल को एक ज्ञापन सौंपा था, जिसमें विवाह पंजीकरण के लिए माता-पिता की सहमति अनिवार्य करने की मांग की गई थी। समिति का कहना था कि इससे धोखे से होने वाली शादियों पर रोक लगेगी और परिवारों को समय रहते जानकारी मिल सकेगी।

इस प्रस्ताव ने राज्य में व्यापक बहस को जन्म दिया है। कुछ लोग इसे महिलाओं की सुरक्षा के लिए आवश्यक कदम मान रहे हैं, जबकि कुछ का मानना है कि इससे व्यक्तिगत स्वतंत्रता और वयस्कों के निर्णय लेने के अधिकार पर प्रभाव पड़ सकता है। हालांकि सरकार का कहना है कि उसका उद्देश्य केवल पारदर्शिता और सुरक्षा सुनिश्चित करना है, न कि किसी की स्वतंत्रता को सीमित करना।

गुजरात सरकार का यह कदम सामाजिक सुरक्षा और कानूनी पारदर्शिता के बीच संतुलन बनाने का प्रयास माना जा रहा है। आने वाले समय में जनता के सुझावों और समिति की सिफारिशों के आधार पर इस कानून में अंतिम संशोधन किया जाएगा। यदि यह प्रस्ताव कानून का रूप लेता है, तो विवाह पंजीकरण की प्रक्रिया में एक बड़ा बदलाव देखने को मिलेगा।

इस पूरे घटनाक्रम ने विवाह, पहचान और कानूनी प्रक्रिया से जुड़े मुद्दों को एक बार फिर चर्चा के केंद्र में ला दिया है। अब सभी की नजर इस बात पर है कि सरकार जनता की राय और कानूनी पहलुओं को ध्यान में रखते हुए इस प्रस्ताव को किस रूप में अंतिम मंजूरी देती है।

एक थप्पड़ और 'क्रूरता' की कानूनी परिभाषा: गुजरात हाईकोर्ट के फैसले पर उठे सवाल और बहस

जीएनएस)। गुजरात हाईकोर्ट का एक हालिया फैसला देशभर में बहस का विषय बन गया है। अदालत ने एक पुराने आपराधिक मामले में सुनवाई करते हुए यह कहा कि पति द्वारा पत्नी को एक बार थप्पड़ मारने की घटना, अपने आप में, भारतीय दंड संहिता के तहत 'क्रूरता' साबित करने के लिए पर्याप्त नहीं मानी जा सकती, जब तक कि लगातार और असहनीय उत्पीड़न के ठोस सबूत पेश न किए जाएं। यह टिप्पणी न्यायमूर्ति गीता गोपी की पीठ द्वारा सुनाए गए फैसले का हिस्सा है, जिसने 2003 में सत्र अदालत द्वारा सुनाई गई सात साल की सजा को रद्द कर दिया। यह मामला वर्ष 1996 से जुड़ा है। आरोपी दिलीपभाई मंगलाभाई वरली को निचली अदालत ने भारतीय दंड संहिता की धारा 306 (आत्महत्या के लिए उकसाने) के तहत दोषी ठहराते हुए सात साल की सजा सुनाई थी। आरोप था कि वह अपनी पत्नी को प्रताड़ित करता था, मारपीट करता था और मानसिक रूप से परेशान करता था, जिसके कारण पत्नी ने आत्महत्या कर ली। महिला पक्ष का कहना था कि पति की लगातार प्रताड़ना और घरेलू हिंसा से तंग आकर उसने यह कदम उठाया।

हालांकि, हाईकोर्ट में अपील के दौरान बचाव पक्ष ने दलील दी कि अभियोजन पक्ष द्वारा लगाए गए आरोपों के समर्थन में पर्याप्त और ठोस साक्ष्य पेश नहीं किए गए। बचाव पक्ष के अनुसार, पति-पत्नी के बीच सामान्य वैवाहिक विवाद होते थे, जिनमें आय, काम और घरेलू मतभेद शामिल थे। बताया गया कि आरोपी अपनी आय बढ़ाने के लिए रात में बैंजो बजाने जाता था, जिसे पत्नी पसंद नहीं करती थी, और इसी कारण दोनों के बीच अक्सर झगड़े होते थे। एक घटना में पत्नी बिना बताए मायके चली गई, जिससे नाराज होकर पति ने उसे एक थप्पड़ मारा। अदालत ने इस एकल घटना को 'क्रूरता' की श्रेणी में रखने के लिए अपर्याप्त माना।

न्यायालय ने अपने आदेश में कहा कि

'क्रूरता' को सिद्ध करने के लिए लगातार, गंभीर और असहनीय व्यवहार के ठोस प्रमाण आवश्यक होते हैं। केवल एक अलग-थलग घटना, जब तक वह अत्यंत गंभीर या जानलेवा न हो, अपने आप में धारा 306 के तहत आत्महत्या के लिए उकसाने का अपराध सिद्ध नहीं करती। अदालत ने कहा कि अभियोजन पक्ष यह साबित करने में विफल रहा कि आरोपी के आचरण और पत्नी की आत्महत्या के बीच प्रत्यक्ष और निकट संबंध था।

इस फैसले के बाद कानूनी और सामाजिक हलकों में अलग-अलग प्रतिक्रियाएं सामने आई हैं। कुछ कानूनी विशेषज्ञों का कहना है कि अदालत ने कानून की तकनीकी व्याख्या के आधार पर निर्णय दिया है। उनके अनुसार, आपराधिक मामलों में दोष सिद्ध करने के लिए संदेह से परे प्रमाण आवश्यक होते हैं, और यदि अभियोजन पक्ष पर्याप्त साक्ष्य प्रस्तुत नहीं कर पाता, तो आरोपी को दोषी नहीं ठहराया जा सकता। उनका तर्क है कि अदालत ने केवल यह कहा है कि इस विशेष मामले में 'एक थप्पड़' को पर्याप्त क्रूरता नहीं माना जा सकता, न कि यह कि घरेलू हिंसा स्वीकार्य है।

दूसरी ओर, महिला अधिकार कार्यकर्ताओं और सामाजिक संगठनों के कुछ प्रतिनिधियों ने इस फैसले पर चिंता जताई है। उनका कहना है कि घरेलू हिंसा की घटनाएं अक्सर निजी दायरे में होती हैं और उनके प्रमाण जुटाना कठिन होता है। ऐसे में यदि अदालतें सख्त प्रमाण की मांग करेंगी, तो पीड़ित महिलाओं के लिए न्याय पाना और कठिन हो सकता है। उनका यह भी कहना है कि शारीरिक हिंसा की कोई भी घटना, चाहे वह एक बार ही क्यों न हो, वैवाहिक संबंध में अस्वीकार्य है और इसे हल्के में नहीं लिया जाना चाहिए।

यहां यह समझना महत्वपूर्ण है कि अदालत का फैसला किसी सामान्य सिद्धांत की घोषणा नहीं, बल्कि विशेष तथ्यों और साक्ष्यों के आधार पर दिया गया निर्णय है। आपराधिक कानून में 'क्रूरता' और 'आत्महत्या के लिए उकसाना' साबित करने के लिए यह दिखाना आवश्यक होता है कि आरोपी का व्यवहार इतना गंभीर था कि उसने पीड़ित को आत्महत्या जैसे कदम के लिए मजबूर किया। यदि साक्ष्य इस स्तर तक नहीं पहुंचते, तो अदालत दोषसिद्धि को बरकरार नहीं रख सकती।

मामले की सुनवाई के दौरान यह भी देखा गया कि पति-पत्नी के बीच विवाद सामान्य वैवाहिक झगड़ों की श्रेणी में आते थे या वे लगातार हिंसक और असहनीय थे। हाईकोर्ट ने माना कि अभियोजन पक्ष यह स्थापित नहीं कर पाया कि आरोपी का व्यवहार निरंतर और अत्यधिक क्रूर था। इसी आधार पर सत्र अदालत का फैसला रद्द कर दिया गया।

इस फैसले ने एक बार फिर यह प्रश्न खड़ा कर दिया है कि घरेलू हिंसा और वैवाहिक विवादों के मामलों में कानून की व्याख्या कैसे की जानी चाहिए। क्या एकल घटना को भी गंभीरता से देखा जाना चाहिए, या फिर आपराधिक दोषसिद्धि के लिए लगातार और प्रमाणित उत्पीड़न आवश्यक है? यह बहस केवल कानूनी नहीं, बल्कि सामाजिक और नैतिक भी है।

भारत में घरेलू हिंसा से संबंधित कानून, जैसे कि 'घरेलू हिंसा से महिलाओं का संरक्षण अधिनियम, 2005', पीड़ित महिलाओं को सिविल उपाय प्रदान करते हैं। वहीं, भारतीय दंड संहिता की धारा 498ए और 306 जैसे प्रावधान आपराधिक कार्रवाई की अनुमति देते हैं। इन धाराओं के तहत दोष सिद्ध करने के लिए साक्ष्य का स्तर अपेक्षाकृत अधिक होता है। अदालतों को हर मामले में तथ्यों, परिस्थितियों और प्रस्तुत साक्ष्यों के आधार पर निर्णय लेना पड़ता है।

गुजरात हाईकोर्ट का यह निर्णय इसी सिद्धांत पर आधारित प्रतीत होता है कि आपराधिक कानून में संदेह का लाभ आरोपी को दिया जाता है। हालांकि, इस फैसले ने समाज में घरेलू हिंसा की गंभीरता और महिलाओं की सुरक्षा को लेकर नई चर्चा को जन्म दिया है। यह स्पष्ट है कि न्यायालय का उद्देश्य हिंसा को वैध ठहराना नहीं, बल्कि साक्ष्य के अभाव में दोषसिद्धि को बरकरार न रखना था।

अंततः, यह मामला हमें यह सोचने पर मजबूर करता है कि कानून और समाज के बीच संतुलन कैसे बनाया जाए। एक ओर निर्दोष व्यक्ति को दंडित न करने का सिद्धांत है, तो दूसरी ओर पीड़ितों को न्याय दिलाने की जिम्मेदारी। आने वाले समय में इस तरह के फैसले और भी बहस को जन्म दे सकते हैं, लेकिन यह भी सच है कि हर निर्णय अपने विशिष्ट तथ्यों और कानूनी कसौटियों पर आधारित होता है।

वलसाड के कुंभघाट में दर्दनाक हादसा: कार-ट्रक टक्कर में एक ही परिवार के 7 लोगों की मौत, इलाके में पसरा मातम

जीएनएस)। गुजरात के वलसाड जिले से एक बेहद दर्दनाक सड़क हादसे की खबर सामने आई है, जिसने पूरे इलाके को झकझोर कर रख दिया। जिले के कपराडा क्षेत्र में कुंभघाट के पास एक इको कार और ट्रक के बीच हुई भीषण टक्कर में सात लोगों की मौके पर ही मौत हो गई, जबकि एक व्यक्ति गंभीर रूप से घायल हो गया। मृतकों के बारे में प्रारंभिक जानकारी के अनुसार वे आंबा जंगल क्षेत्र के निवासी थे और बताया जा रहा है कि सभी एक ही परिवार के सदस्य थे। हादसा उस समय हुआ जब इको कार में सवार लोग कपराडा से नानापोढ़ा की ओर जा रहे थे। कुंभघाट के मोड़ के पास सामने से आ रहे ट्रक से उनकी कार की जोरदार भिड़ंत हो गई। प्रत्यक्षदर्शियों के अनुसार टक्कर इतनी भीषण थी कि कार के परखच्चे उड़ गए और वाहन पूरी तरह क्षतिग्रस्त हो गया। दुर्घटना के बाद का दृश्य बेहद भयावह था। सड़क पर बिखरे कार के हिस्से और आसपास इकट्ठा लोगों की भीड़ इस हादसे की गंभीरता को बयान कर रही थी।

स्थानीय लोगों ने तुरंत पुलिस और

आपातकालीन सेवाओं को सूचना दी। सूचना मिलते ही पुलिस मौके पर पहुंची और राहत एवं बचाव कार्य शुरू किया गया। कार में फंसे लोगों को बाहर निकालने के लिए काफी मशक्कत करनी पड़ी। पुलिस ने सात लोगों की मौके पर ही मौत की पुष्टि की है। गंभीर रूप से घायल एक व्यक्ति को तत्काल अस्पताल पहुंचाया गया, जहां उसका इलाज जारी है। चिकित्सकों के अनुसार उसकी हालत नाजुक बनी हुई है।

हादसे के बाद कुंभघाट मार्ग पर लंबा जाम लग गया। दुर्घटनाग्रस्त वाहनों को हटाने और यातायात बहाल करने में पुलिस को काफी समय लगा। ट्रैफिक को अस्थायी रूप से डायवर्ट किया गया ताकि बचाव कार्य में कोई बाधा न आए। पुलिस ने घटनास्थल का निरीक्षण कर दुर्घटना के कारणों की जांच शुरू कर दी है। प्रारंभिक अनुमान के अनुसार तेज रफ्तार और घाट क्षेत्र का घुमावदार मार्ग हादसे की वजह हो सकता है, हालांकि पुलिस सभी पहलुओं से जांच कर रही है। स्थानीय प्रशासन ने बताया कि मृतकों की पहचान की प्रक्रिया पूरी कर ली गई है और शवों को पोस्टमार्टम के लिए भेजा गया है। घटना की सूचना मिलते ही मृतकों के परिजन और गांव के लोग अस्पताल और घटनास्थल पर पहुंच गए। एक ही परिवार के सात लोगों की एक साथ मौत की खबर से पूरे क्षेत्र में शोक की लहर दौड़ गई है। गांव में मातम का माहौल है और लोगों की आंखों में आंसू थमने का नाम नहीं ले रहे।

कपराडा और नानापोढ़ा के बीच का कुंभघाट क्षेत्र पहाड़ी और घुमावदार रास्तों के लिए जाना जाता है। यहां पहले भी सड़क हादसे हो चुके हैं। स्थानीय लोगों का कहना है कि घाट क्षेत्र में भारी वाहनों की तेज रफ्तार और ओवरटेकिंग की वजह से दुर्घटनाओं का खतरा बना रहता है। उन्होंने प्रशासन से मांग की है कि इस मार्ग पर सुरक्षा के अतिरिक्त उपाय किए जाएं, जैसे स्पीड ब्रेकर, चेतावनी संकेत और नियमित गश्त। पुलिस अधिकारियों के अनुसार ट्रक चालक से भी पूछताछ की जा रही है। दुर्घटना के समय वाहन की गति, ब्रेकिंग दूरी और सड़क की स्थिति की जांच की जाएगी। तकनीकी टीम द्वारा मौके से साक्ष्य जुटाए जा रहे हैं, ताकि दुर्घटना के वास्तविक कारणों का पता लगाया जा सके। यदि लापरवाही पाई गई तो संबंधित धाराओं के तहत कार्रवाई की जाएगी।

हादसे की खबर फैलते ही आसपास के इलाकों में शोक की लहर दौड़ गई। सामाजिक संगठनों और स्थानीय प्रतिनिधियों ने मृतकों के परिवार के प्रति संवेदना व्यक्त की है। कई लोगों ने सरकार से पीड़ित परिवार को आर्थिक सहायता देने की मांग की है। प्रशासन की ओर से भी राहत सहायता पर विचार किए जाने की बात कही जा रही है।

यह हादसा एक बार फिर सड़क सुरक्षा को लेकर गंभीर सवाल खड़े करता है। विशेषकर घाट और पहाड़ी क्षेत्रों में ड्राइविंग के दौरान सावधानी बरतना अत्यंत आवश्यक है। विशेषज्ञों का मानना है कि ऐसे मार्गों पर गति नियंत्रण, उचित संकेतक और नियमित निगरानी से दुर्घटनाओं की संभावना कम की जा सकती है। साथ ही, वाहन चालकों को भी नियमों का पालन करते हुए सावधानीपूर्वक वाहन चलाना चाहिए।

फिलहाल पुलिस मामले की विस्तृत जांच में जुटी है और हादसे से जुड़े सभी तथ्यों को खंगाला जा रहा है। मृतकों के परिजनों के लिए यह एक असहनीय क्षति है, जिसकी भरपाई संभव नहीं है। वलसाड जिले में इस भीषण दुर्घटना ने हर किसी को स्तब्ध कर दिया है और पूरे क्षेत्र में शोक और संवेदना का माहौल बना हुआ है।

चुनाव आयोग की निष्पक्षता और पारदर्शिता को लेकर गंभीर सवाल उठ रहे हैं

छगन लाल मेवाड़ा द्वारा) सूरत. चुनाव आयोग, ईडी, सीबीआई या कोई भी अन्य स्वायत्त संस्था जिसका सर्वोपरि कर्तव्य निष्पक्ष रूप से कार्य करना है। लेकिन जब इन संस्थाओं पर सवाल उठते हैं, और वह भी एक जगह नहीं बल्कि कई जगहों पर, तो इनकी विश्वसनीयता पर सवाल उठने लगते हैं। आज स्थिति ऐसी है कि ये संस्थाएं निष्पक्ष नहीं बल्कि पक्षपातपूर्ण तरीके से कार्य करती हैं। और अधिकतर समय वे सत्ताधारी दल के इशारे पर काम करती हैं। जनता के एक वर्ग के मन में यही धारणा बन गई है।

यदि हम चुनाव आयोग की बात करें, तो यह देश की एक स्वायत्त संस्था है जिस पर देश के लोकतंत्र का स्वास्थ्य टिका हुआ है, लेकिन जब इसी संस्था पर पक्षपात के आरोप लगते हैं और यह साबित हो जाता है कि ऐसा हो रहा है और देश के सर्वोच्च न्यायालय को इसे बार-बार फटकार लगानी पड़ती है, तो यह न केवल चुनाव आयोग के लिए शर्म की बात है बल्कि देश के लोकतंत्र के लिए भी गंभीर चिंता का विषय है। दूसरे, चुनाव आयोग के इस तरह के विवादास्पद कार्यों को लेकर देश भर से जिस तरह की शिकायतें उठाई जा रही हैं, उससे स्पष्ट होता है कि चुनाव आयोग देश के सभी

नागरिकों का विश्वास जीतने में पूरी तरह विफल रहा है।

मतदाता सूची के विशेष गहन पुनरीक्षण (एसआईआर) को लेकर चुनाव आयोग से सबसे महत्वपूर्ण अपेक्षाओं में से एक यह रही है कि यह पूरी तरह से पारदर्शी होना चाहिए। कई विवादों के बीच विपक्षी दलों द्वारा भी यह एक प्रमुख मांग उठाई गई है। इस मुद्दे पर चुनाव आयोग का तर्क है कि मतदाता सूची के विशेष गहन पुनरीक्षण का उद्देश्य अपात्र व्यक्तियों को हटाना है। इसमें वे लोग भी शामिल होंगे जो पलायन कर चुके हैं और जिनकी मृत्यु हो चुकी है। इस उद्देश्य पर किसी को कोई आपत्ति नहीं है। लेकिन विभिन्न राज्यों में बड़ी संख्या में लोगों के मतदाता सूची से बाहर किए जाने की खबरों ने कई सवाल खड़े कर दिए हैं। इसका मूल कारण पूरी प्रक्रिया में पारदर्शिता की कमी हो सकती है। जिसके कारण आम नागरिकों में कई चिंताएं पैदा हो गई हैं। यदि एसआईआर प्रक्रिया शुरू से अंत तक पूरी तरह से पारदर्शी होती, तो अनावश्यक विवादों से बचा जा सकता था।

और मतदाताओं को उनके लोकतांत्रिक मताधिकार से वंचित नहीं किया जाना चाहिए। यदि यह शिकायत उठाई जाती है कि देश के नागरिकों, और यहां तक कि एक विशेष समुदाय के लोगों को भी, बड़ी संख्या में मताधिकार से वंचित किया जा रहा है, तो यह चुनाव आयोग की पूर्ण विफलता है, जो एक शर्मनाक बात है।